आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

अगस्त 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

समान नागरिक संहिता

भारत-भावना के प्रतिकूल

"भलाई और बुराई समान नहीं है।
तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे
से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो।
फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति,
तुम्हारे और जिसके बीच बैर पड़ा हुआ
था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है।"

(क़ुरआन, 41:34)

with best compliment from | Dr. Shabbir Ahmad (WB)

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस,
2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान,
दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 02 अगस्त 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

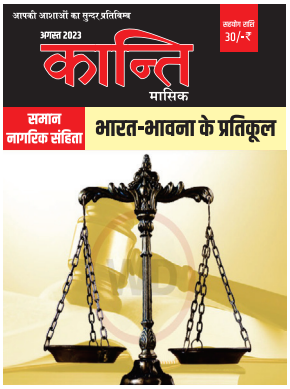

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
आज़ादी के अमृत में घुल रहा सांप्रदायिक विष
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
अहंकार का रोग
तबाना नूरी

सौंदर्य बोध 09
सद् व्यहार की शक्ति
सय्यद जलालुद्दीन उमरी

मुख्य स्तंभ 13
भारत-भावना के प्रतिकूल
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
यूनीफॉर्म नहीं रिफॉर्म
पी. चिदंबरम

समाधान 20
यूसीसी : एक सियासी जाल
एस. अमीनुल हसन

कविता 22
ठाकुर का कुआँ
ओमप्रकाश वाल्मीकि

मंथन 23
आर्थिक दृष्टिकोण का दुष्चक्र
नईम अलहिन्दी

सरोकार 26
बर्बादी के प्रति जगे ज़िम्मेदारी का भाव
जितेंद्र गौतम

विचार 29
कज़न मैरेज की हक़ीक़त
प्रो. शेख़ मोईन शेख़ नईम

दृष्टिकोण 32
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जोखिम
डॉ. प्रदीप कुमार

श्रद्धांजलि 34
मर्दे-क़लंदर : मौलाना फ़ारूक़ ख़ां
डॉ॰ सलीम ख़ान

विशेष 37
आज़ाद भारत में ग़ुलाम लोग
परवेज़ अनवर

सेहत 41
आंखों को कमज़ोर कर सकती हैं आपकी ये आदतें
संपादन प्रभाग

करियर 43
आपदा प्रबंधन में अवसर
संपादन प्रभाग

कहानी 45
छुट्टी का दिन
शशिभूषण द्विवेदी

आख़िरी पन्ना 49
साम्प्रदायिक सद्भाव
मौलाना इनायतुल्लाह सुब्हानी

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

आज़ादी के अमृत में घुल रहा सांप्रदायिक विष

हम 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके 76वीं वर्षगांठ मनाने जार हे हैं। इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, इस पर ख़ूब चर्चाएं होती रहती हैं। वास्तव में आज़ादी से बड़ी कोई राहत और नेमत नहीं होती है। पराधीन मनुष्य खूंटे से बंधे उस जानवर के समान होता है जो चाहकर भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। हम भी 200 वर्षो तक अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के पिंजरे में क़ैद रहे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में सांस ले पाए। हमने अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी तो पा ली, लेकिन इतने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते हुए हमारे पंख कट चुके थे।

अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। इन 75 वर्षो निसंदेह भारत ने काफ़ी प्रगति की है,उपलब्धियों की लम्बी सूचि है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का आयातक से निर्यातक बन जाना है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आज़ादी के समय देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिये आधारभूत सुविधाएं थी।

वर्ष 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिये पर्याप्त नहीं था। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था 'पेट पर रस्सी बांधो, साग-सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो।'

इस स्थिति से जल्द से जल्द निकलने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में वैज्ञानिक विधियों व अनुसंधान को बढ़ावा देने और हरित क्रांति समेत कई बड़े क़दम उठाए। समय के साथ-साथ नई-नई प्रौद्योगिकी व मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। नतीजा यह हुआ कि आज भारत न सिर्फ़ अपनी समूची जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है बल्कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। केवल खाद्य उत्पादन ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में कमंद डालने का सफ़ल कार्यक्रम भी चलाया। आर्यभट एवं भास्कर से लेकर चंद्रयान-1 और मंगलयान तक का सफ़र बेहद सुखद और गौरवपूर्ण है।

संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो वैश्विक पटल पर आज भारतवर्ष को अपार अवसर हासिल हैं। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए सब से अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इस बड़ी आबादी ने भारतवर्ष को नवाचार रचने वाले दिमाग़, उत्पादन करने वाले हाथ, सृजन करने वाली प्रतिभा प्रचूर मात्रा में दी है। जनसंख्या वास्तव मे संसाधन होती है,ये मानव समाज

के लिए पूंजी है, ये किसी राष्ट्र या समाज पर निर्भर करता है कि वो अपनी आबादी का सही इस्तेमाल करता है या उसे बर्बाद करता है।

देश धन संपदा और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। भौतिकवादी आधुनिकता और उदारवादी स्वछंदता की शक्तिशाली लहर के बावजूद यहां की आम आबादी पर धर्म और अध्यात्म के गहरे प्रभाव के कारण नैतिकता समाज में स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। वास्तव में समाज में पाए जाने वाले नैतिक मूल्य इस देश की बड़ी ताक़तें (strength) हैं।

अगर ईश्वर प्रदत्त इन संसाधनों और अवसरों का सही प्रयोग हो, मुल्क में अमन-शांति हो,भाई चारे की फ़िज़ा हो, नैतिक हालत और बेहतर हों तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो तो हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक मॉडल होगा और विश्व गुरु बन कर उभरेगा, मगर विडंबना ये है कि अवसर और संभावना से पूर्ण इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमारा देश सांप्रदायिक ज़हर से त्रस्त एवं ग्रस्त है। सांप्रदायिकता का ज़हर सरकार, प्रशासन और मीडिया के रास्ते अब आम समाज में घुस आया है। परिणामस्वरूप सामाजिक ताना बाना, धार्मिक सहिष्णुता, लॉ एंड ऑर्डर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब ख़तरे की ज़द में हैं। सत्य और न्याय की बात कहना कठिन हो गया है। समाज में विभाजन, विभिन्न समूहों में तनाव का वातावरण, इस्लामोफोबिया की फ़िज़ा और नफ़रत व टकराव का माहौल नया सामान्य बनता जा रहा है।



मणिपुर में मतेइ और कूकी समूदायों के बीच हिंसक झड़प और उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में मुसलमानों को इलाक़ा छोड़ देने की नोटिस,परेशान करने वाली ख़बरें हैं। हरियाणा से निरंतर इस्लामोफोबिक जघन्य अपराध की ख़बरें आती रहती हैं। काफ़ी शान्त पहाड़ी प्रदेश हिमाचल से भी सांप्रदायिक उन्मादी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल के एक अगड़ी जाति के नेता ने कथित निचली जाति से नफ़रत का इज़हार उक्त जाती के एक सदस्य के ऊपर पेशाब करके किया,इतनी अमानवीय और पाश्विक कृत्य...

ये इसी सांप्रदायिक ज़हर का परिणाम है कि हमारी सरकारों का ध्यान उन अवसरों और संभावनाओं पर नहीं जाता जो इतिहास के इस मोड़ पर हमें उपलब्ध हो गए हैं बल्कि अनावश्यक बखेड़ा खड़ा करने में उनकी गहन रूचि है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज सामाजिक और आर्थिक विषमता अपने चरम पर है, मगर हमारी सरकारों को विभिन्न संप्रदायों के 'पर्सनल लॉज' को ख़तम करके उसे 'यूनिफॉर्म' करने की धुन सवार है। कान्ति के इस अंक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तर्कों की बौद्धिक पड़ताल की गई है।

अंत में...

स्वतंत्रता, आज दुनिया में सिमटती जा रही है। ब्रिटेन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन 'आर्टिकल-19' ने विश्व के 161 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जिसे स्वतंत्रता की आत्मा कहा जाता है) पर एक रिपोर्ट "Global expression report-22" पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 15 प्रतिशत दुनिया अभिव्यक्ति की आज़ादी से लाभांवित हो पाती है। ये हालत पहले से बदतर हुई है। आफ़सोसनाक तौर पर इस मामले में भारत का शुमार चीन, मयंमार और रूस जैसी एकाधिकारवादी ग़ैर लोकतांत्रिक देशों के साथ किया गया है।

ऐसा इसलिए हुआ है कि विरासत में मिली आज़ादी की क़ीमत हम समझ नहीं सके। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर महज़ तिरंगा फहराने, बैनर-पोस्टर लगाने और आज़ादी के तराने सुनने-गुनगुना लेने भर को हम वतनपरस्ती समझ बैठे और सरकारें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए विभाजन और सांप्रदायिकत का ज़हर बोती रहीं। ■■

"अल्लाह ही रात और दिन का उलट-फेर करता है। निश्चय ही आंखें रखने वालों के लिए इसमें एक शिक्षा है।"

(क़ुरआन, 24:44)

with best compliment from

- *W. D. Khan [Hyderabad]*
- *Syed Hashim Ali [Hyderabad]*

चिंतन



तबाना नूरी

अहंकार का रोग



"और धरती में अकड़कर न चलो, न तो तुम धरती को फाड़ सकते हो और न लंबे होकर पहाड़ों को पहुंच सकते हो।"

(क़ुरआन, 17:37)

प्रत्येक मनुष्य के अन्दर कम या अधिक अहंकार की भावना होती अवश्य है, जिसके अन्दर अहंकार न हो वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अहंकार के बलवती होने से जीवन जटिल और कष्टमय हो जाता है। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने की मनोवृत्ति मनुष्य को अहंकारी बना देती है। जब मन में अहंकार आने लगता है तो अहंकार के पीछे से कई ऐसे विचार स्वयं ही आ जाते हैं जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं। अहंकार विक्षिप्त मन का बीज है, जिसके फल अत्यंत दुखदायी व ख़तरनाक होते हैं।

अपनी बात पर अड़े रहना, अपने को सही सिद्ध करना, ग़लती करने पर स्वीकार नहीं करना, ग़लत के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, मैं सही हूं यह भ्रम पैदा हो जाना, मेरा कैसे लाभ हो मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचे। ये सब शुरुआती अहंकार के लक्षण हैं, जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेते हैं।

इसीलिए दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़े विद्वान इसे सर्वथा ग़लत बताते हैं और अपनी बुद्धि-विवेक से इस बुरी भावना को त्यागने की सलाह देते हैं। दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि जब अहंकार बलवान हो जाता है, तब वह मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है।

शुरू में तो यह भाव-आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे समूचे कार्यकलाप ही अहंकार-पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। धन, पद-प्रतिष्ठा और यश पाकर भी हम असंतुष्ट-अतृप्त रह जाते हैं। अहंकार का अनचाहा प्रभाव ये है कि लोग आपको नापसंद करते हैं, यहां तक कि आपसे डरते भी हैं। यह आपका सम्मान छीन लेता है।

हम बार-बार यही सुनते हैं कि इस अहंकार का त्याग करो। महापुरुषों द्वारा भी हमेशा यही बात क्यों दोहराई जाती

है कि अहंकार हमें विनाश की तरफ़ ले जाता है। विभिन्न धर्म ग्रन्थ भी हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आख़िर इस अहंकार का जन्म कैसे होता है? अहंकार आता कहां से है? सवाल यह भी उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है?

जानकारों का मानना है कि अहंकार मन का एक विकार है जो मनुष्य के मन में स्वयं ही उपजता है। मैं आपसे बेहतर हूं, मैं अधिक पैसा कमाता हूं, मेरा घर बड़ा है, मेरी बुद्धि अधिक है, मैंने अधिक यात्रा की है, मेरी ताक़त ज़्यादा है, मैं अधिक स्वादिष्ट भोजन बनाता हूं, यह सूची बहुत लंबी है। श्रेष्ठता की यह भावना ही समस्त अभिमान और अहंकार का मूल है।

अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम सच्चे मन से नम्रता, समर्पण और त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक है। अहंकार से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा यंत्र है–मृत्यु-बोध। हम जिस सुंदर शरीर, सांसारिक उपलब्धि और पद-प्रतिष्ठा पर गुमान करते हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। फिर भी हम उन्हें पाने के लिए ग़लत काम करने से नहीं चूकते। पर जब हमारे भीतर यह अंतर्ज्ञान जाग जाता है कि मृत्यु ही जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है, तो अहंकार का भाव विलुप्त हो जाता है।

अहंकार का रोग बाहर की आंखों से नहीं, अपितु अंतर्मन की आंखों से देखा जा सकता है। अतः हमारे लिए अपने सचेत प्रयास से अहंकार की निरर्थकता को समझते हुए उसे त्यागना बहुत ज़रूरी है। त्याग करने से पहले उसकी निरर्थकता को समझना होगा।

अहंकार से दूरी का एक और उपाय है ईश्वर को याद करना-हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर सब देखता है, यहां तक कि व्यक्ति के दिलों में क्या है उसे भी वह देखता है। धर्म का जन्म ही तब होता है, जब अहंकार विलीन होने लगे, धार्मिकता के लिए निरहंकारिता अतिआवश्यक है। अहंकारी कभी धार्मिक नहीं हो सकता, धार्मिक होने का पाखंड कर सकता है।

निरहंकारी हुए बिना ऊंचे पदों पर बैठा व्यक्ति लोकहित की

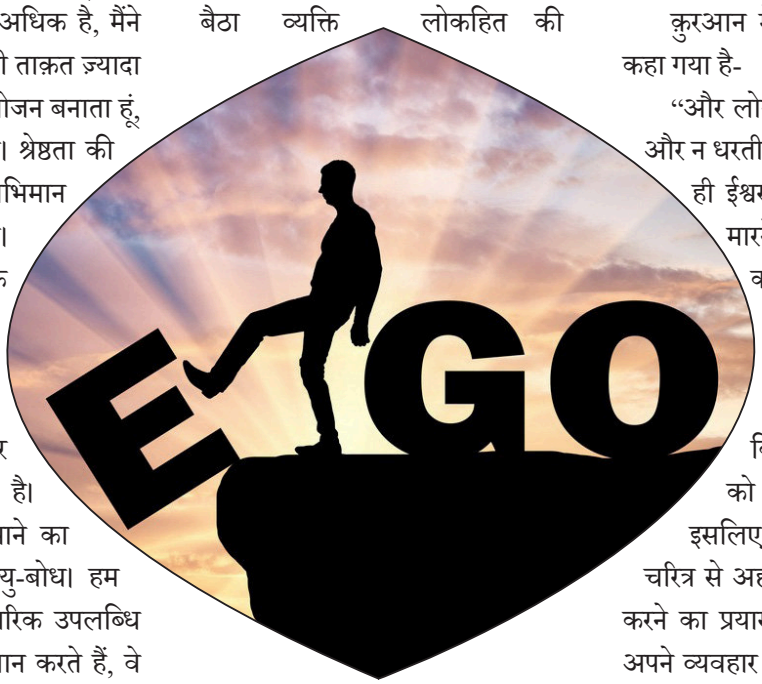

बातें तो करेगा, पर लोकहित कभी नहीं करेगा। लोकहित उसी से हो सकता है, जो निरहंकारी हो।

अहंकार हमें आस्तिक के गुणों को प्राप्त करने से रोकता है। अभिमानी व्यक्ति न तो विनम्र हो सकता है और न ही वह ईर्ष्या से बच सकता है। वह सलाह मानने से इंकार कर देता है और अक्सर अपने क्रोध या ग़ुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है।

धर्म ग्रंथों में अहंकार के दुष्परिणामों से लोगों को चेताया गया है। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है-

"कहा जायेगा, "नरक के द्वारों में प्रवेश करो उसमें सदैव रहने के लिए।" तो बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का।" (क़ुरआन, 39:72)

क़ुरआन में जगह-जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए।

"और धरती में अकड़कर न चलो, न तो तुम धरती को फाड़ सकते हो और न लंबे होकर पहाड़ों को पहुंच सकते हो।" (क़ुरआन, 17:37)

क़ुरआन में एक अन्य स्थान पर कहा गया है-

"और लोगों से अपना रुख़ न फेर और न धरती में इतराकर चल। निश्चय ही ईश्वर किसी अहंकारी, डींग मारने वाले को पसन्द नहीं करता।" (क़ुरआन, 31:18)

निस्संदेह, ईश्वर किसी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। इसलिए एक आस्तिक अपने चरित्र से अहंकार के लक्षणों को दूर करने का प्रयास करता है। वह हमेशा अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहता है। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वह अपने सुविचारों के साथ आत्मा की गहराइयों की यात्रा पर निकल पड़ता है और वही अनंत शांति का मार्ग है। हम सभी को अपने जीवन में अभिमान और अहंकार के बदले दया और करुणा लाना चाहिए। हमें अपने भीतर छुपे अहंकार के अंधेरे को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों उज्ज्वल हो सके। ■■

(लेखिका ऑस्ट्रेलिया में रह रही अप्रवासी भारतीय हैं)



सद्व्यवहार की शक्ति

सौंदर्य बोध



सय्यद जलालुद्दीन उमरी

समाज में जो भी व्यक्ति सेवा का हक़दार हो उसकी सेवा होनी चाहिए। इन्सान को मां-बाप, बाल-बच्चों और निकट संबंधियों से स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है। वह उनसे एक विशेष हार्दिक संबंध महसूस करता है, इसी कारण उनकी सेवा को अपना नैतिक कर्तव्य समझता है, परन्तु समाज के अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का भावनात्मक लगाव उसके अन्दर नहीं होता, अतः उनके साथ उसका व्यवहार भी भिन्न होता है।

इस्लाम इन्सानों के बीच संबंधों के प्रकार, उनके पदों और श्रेणियों को पूरी तरह ध्यान में रखता है और उनके अधिकारों का निर्धारण भी करता है। इस्लाम ने यह भी बताया है कि सेवा और अच्छे व्यवहार के प्राथमिक अधिकारी कौन हैं।

इसके साथ उसकी शिक्षा यह है कि इन्सान मात्र उन्हीं व्यक्तियों की सेवा करने को अपना कर्तव्य न समझे जिनसे उसका ख़ून का संबंध है, बल्कि वह उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे जिनसे उसका कोई रिश्ता-नाता नहीं है। उसकी सेवा और सद्व्यवहार का क्षेत्र उसके घर और परिवार से आगे बढ़कर समूचे समाज तक फैल जाए। वह सम्पूर्ण मानवजाति को अपना परिवार समझकर उसकी सेवा के लिए खड़ा हो जाए। क़ुरआन की सूरा-4 'निसा' की एक आयत अति संक्षिप्त रूप में बताती है कि वे कौन लोग हैं जो सेवा और अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं। वह आयत यह है-

''और अल्लाह (ईश्वर) ही की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ और अच्छा व्यवहार करो मां-बाप के साथ और नातेदारों,

अनाथों, मुहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ और उन पड़ोसियों के साथ जो अजनबी हों और पास के व्यक्ति के साथ और साथ के मुसाफ़िरों के साथ और उन (लौंडी-ग़ुलामों) के साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों। निस्सन्देह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने वाला हो।''

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-36)

इस आयत में हालांकि समाज के उन समस्त कमज़ोर और वंचित वर्गों का उल्लेख नहीं है जिनकी सेवा करने की क़ुरआन ताकीद करता है, परन्तु इससे उसके सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेम से भरे हुए व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। यहां हम इस आयत की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे, लेकिन इससे पहले यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि क़ुरआन ने 'सेवा' के लिए 'एहसान' का पारिभाषिक शब्द प्रयोग किया है।



यह बड़ा व्यापक शब्द है जो सेवा के सभी पहलुओं पर हावी है। इसमें ढाढ़स, सहानुभूति, प्रेम, आवश्यकताओं का पूरा करना तथा किसी को उसके अधिकार से अधिक देना आदि सब कुछ आ जाता है।

क़ुरआन में सभी इन्सानों के साथ अच्छा व्यवहार अपनाने की हिदायत की गई है। इस विषय में सबसे पहले मां-बाप का उल्लेख किया गया है-

मां-बाप की सेवा की शिक्षा दुनिया के प्रत्येक धर्म ने दी है। क़ुरआन में एक-दो नहीं, बल्कि अनेक स्थानों पर मां-बाप के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया है। इन्सान का अस्तित्व, उसका जन्म, पालन-पोषण, देखभाल, शिक्षा-दीक्षा तथा उसके आर्थिक एवं नैतिक विकास आदि में मां-बाप सबसे अधिक भागीदार होते हैं। यदि वे ध्यान न दें तो वह उन्नति नहीं कर सकता, बल्कि उसका अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ सकता है। अशिक्षित-से-अशिक्षित तथा दरिद्र मां-बाप भी सन्तान के लिए जो क़ुरबानी देते हैं, इन्सानी समाज में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। क़ुरआन ने अल्लाह के प्रति कृज्ञता प्रकट करने का भी आदेश दिया है और मां-बाप के प्रति कृतज्ञता दिखाने की भी हिदायत की है-

''मेरे प्रति कृतज्ञ हो और अपने मां-बाप के प्रति भी। मेरी ही ओर पलटकर आना है।''

(क़ुरआन, सूरा-31 लुक़मान, आयत-14)

क़ुरआन ने विशेष रूप से बुढ़ापे में मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है-

''यदि उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उन्हें 'उफ़' तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे भली प्रकार बात करो और दयालुता और नर्मी के साथ उनके सामने झुककर रहो, और दुआ करो : ऐ रब! जिस तरह इन्होंने बचपन में दया और प्रेम से मेरा पालन-पोषण किया है, तू भी इन पर दया कर।''

(क़ुरआन, सूरा-17 बनी इसराईल, आयतें-23-24)

क़ुरआन ने मां-बाप के तुरन्त बाद नातेदारों का ज़िक्र किया है। इसमें इस बात की ओर संकेत है कि मां-बाप के बाद सबसे अधिक हक़ नातेदारों का है। मां-बाप ही से नातेदारों की नातेदारी

पैदा होती है। अतः आधार तो वही हैं, फिर जो व्यक्ति उनसे जितना क़रीबी संबंध रखता है उसका हक़ भी उतना ही बढ़ जाता है। नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार 'सिला-रहमी' (ख़ून के रिश्तों को जोड़े रखना और प्रेम करना) है। क़ुरआन ने इसकी बड़ी ताकीद की है। एक स्थान पर अल्लाह के प्रियजनों की विशेषताएं इस प्रकार बयान की गई हैं-

''(और उनकी नीति यह होती है कि) अल्लाह ने जिन-जिन नातों को जोड़े रखने का आदेश दिया है उन्हें जोड़े रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात से डरते हैं कि कहीं उनसे सख़्त हिसाब न लिया जाए।''

(क़ुरआन, सूरा-13 रअद, आयत-21)

नातेदारों के साथ अच्छे व्यवहार से पूरा सामाजिक जीवन आनंदमय बन जाता है। जहां यह ख़ूबी न हो वहां सामाजिकता में बिगाड़ आ जाता है। इसी कारण नातेदारों से अच्छे व्यवहार का बड़ा महत्व बताया गया है।

यह एक वास्तविकता है कि इन्सान अपने नातेदारों से स्वाभाविक रूप से निकटता महसूस करता है। इसी के साथ यह भी एक हक़ीक़त है कि कुछ रिश्तों में बड़ी कोमलता पाई जाती है। साधारण-सी घटनाओं से वैमनस्य पैदा हो जाता है और सम्बन्ध बिगड़ने लगते हैं। हदीस में कहा गया है कि इन संबंधों को बिगड़ने न दिया जाए और उन्हें क़ायम रखने का हर संभव प्रयत्न किया जाए। अच्छा व्यवहार इसका एक बेहतर तरीक़ा है।

मां-बाप और नातेदारों का हक़ सबसे ऊपर है। उनके साथ अच्छे व्यवहार का आदेश देने के बाद समाज के अन्य मुहताजों, ज़रूरतमन्दों और कमज़ोरों के साथ सद्व्यवहार का आदेश दिया गया है। इस विषय में सबसे पहले

"और अल्लाह (ईश्वर) ही की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ और अच्छा व्यवहार करो मां-बाप के साथ और नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ और उन पड़ोसियों के साथ जो अजनबी हों और पास के व्यक्ति के साथ और साथ के मुसाफ़िरों के साथ और उन (लौंडी-गुलामों) के साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों। निसन्देह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने वाला हो।" (क़ुरआन, 4:36)

अनाथों और मुहताजों का ज़िक्र किया गया है जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं। क़ुरआन में है-

''और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो।''

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-36)

क़ुरआन और हदीस में अनाथों के पालन-पोषण, देखभाल, शिक्षा-दीक्षा, उनकी सम्पत्ति की रक्षा और उनके अधिकारों की पूर्ति पर बार-बार ज़ोर दिया गया है। अनाथ अपनी कमज़ोरी और नासमझी के कारण अपने वैध अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर पाता। उसके अधिकारों को छीनना हरेक के लिए आसान होता है। क़ुरआन ने ऐसे लोगों को कठोर दंड की धमकी दी है-

''निश्चय ही वे लोग जो यतीमों का माल ज़ुल्म से खाते हैं, वे तो अपने पेट आग से भरते हैं, और वे अवश्य जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे।''

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-10)

अनाथों के साथ मुहताजों का भी उल्लेख किया गया है। मुहताज से अभिप्राय समाज के वे लोग हैं जो शारीरिक असमर्थता और आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हैं। क़ुरआन और हदीस में दरिद्रों और मुहताजों के साथ अच्छे व्यवहार और उनके नैतिक तथा क़ानूनी अधिकारों का बार-बार उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर आदेश है-

''तो नातेदार को उसका हक़ दो, और मुहताज और (ज़रूरतमंद) मुसाफ़िर को (उसका हक़), यह उत्तम है उनके लिए जो अल्लाह की ख़ुशी चाहते हैं और वही कामयाब होने वाले हैं।''

(क़ुरआन, सूरा-30 रूम, आयत-38)

इन्सान जिन लोगों के बीच रहता

है और जो उसके पड़ोसी हैं और जिनसे वह अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अलग-थलग नहीं रह सकता उनके अधिकार स्पष्ट है कि उन लोगों से अधिक हैं जिनसे उसका इस प्रकार का संबंध नहीं होता। यहां पड़ोसियों के तीन प्रकार बताए गए हैं। एक वह जो पड़ोसी होने के साथ नातेदार भी है, दूसरा वह जो केवल पड़ोसी है और तीसरा वह जिसका संयोग से या कभी-कभी साथ हो जाता है जैसे यात्रा में, कार्यालय में, स्कूल और कॉलेज में, कारख़ाने और फैक्ट्री में, व्यापार और कारोबार में। जिन लोगों के साथ इस प्रकार का साथ हो वे भी एक प्रकार के 'पड़ोसी' हैं।

पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का महत्व संसार के समस्त धर्मों ने बताया है। परन्तु इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार ही की शिक्षा नहीं दी, बल्कि पड़ोसी होने का इतना व्यापक विचार दिया कि संसार में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। उसने कहा कि इन्सान के साथ किसी भी प्रकार का थोड़ी-बहुत देर के लिए भी साथ हो जाए तो उसका हक़ क़ायम हो जाता है। यदि यह सम्पर्क स्थाई हो तो उसका हक़ भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क़ुरआन कहता है-

''नातेदार पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों और पास बैठने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करो।''

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-36)

इसके बाद यात्रियों (मुसाफ़िरों) का ज़िक्र है। अपरिचितों और यात्रियों की सेवा को सदा ही पुण्य और सवाब का काम समझा गया है। कारोबार तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भाग-दौड़ में कष्टों का सामना करना आदि एक सामान्य-सी बात है। यदि यात्रा विदेश की हो तो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कुछ अन्य प्रकार की परेशानियों में घिर सकता है। इस पहलू से देखा जाए तो आज के युग में यात्रा की समस्याएं पहले से अधिक विस्तृत और जटिल हो गई हैं। इस्लाम पूरे समाज की यह ज़िम्मेदारी ठहराता है कि वह ऐसे तमाम अवसरों पर यात्री के साथ अच्छे-से-अच्छा व्यवहार करे, ताकि वह अपने को अपरिचित महसूस न करे और जिस उद्देश्य के लिए उसने अपना घर-बार और वतन छोड़ा था वह यात्रा के कष्टों के कारण पूरा होने से न रह जाए।



एक बात नोट करने की यह है कि यहां मां-बाप, नातेदारों, दरिद्रों, मुहताजों और समाज के अन्य कमज़ोर व्यक्तियों तथा वर्गों के साथ अच्छे-से-अच्छा और उत्तम-से-उत्तम व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम ने इन सबके अधिकार निर्धारित किए और क़ानूनी सुरक्षा प्रदान की, ताकि कोई व्यक्ति किसी कमज़ोर पर अत्याचार न कर सके और कोई हक़दार अपने अधिकार पाने से वंचित न रहे। ■■

मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद



समान नागरिक संहिता

भारत भावना के प्रतिकूल

‘भारत विभिन्न समुदायों के लिए अलग क़ानूनों की प्रणाली के साथ कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक बार फिर से चर्चा में है। समान नागरिक संहिता यानी निजी जीवन के लिए बना ऐसा क़ानून, जिसे हर नागरिक को मानना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या मान्यता में विश्वास रखता हो। इनमें विवाह, तलाक़, मुआवज़ा, उत्तराधिकार व संपत्ति, आदि से संबंधित क़ानून आते हैं।

मूल समस्या : 75 वर्ष पहले संविधान सभा में बहस के दौरान यूसीसी से जुड़े कई सवालों के जवाब आज तक अधूरे हैं। इसलिए इसे लागू करने के फ़ैसले को भविष्य में बनने वाली लोकतांत्रिक सरकार के विवेक पर भी छोड़ दिया गया और तत्कालिक संविधान सभा ने इसे नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत डाल दिया। जानकारों का मानना है कि यूसीसी को कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा। जैसे कि शादी और तलाक़ का क्या मानदंड होगा? गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? तलाक़ के मामले में गुज़ारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या आधार होगा? और संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे? दिलचस्प बात यह है कि सरकार या विधि आयोग द्वारा अभी तक यूसीसी की कोई रूप-रेखा या ख़ाका पेश नहीं किया जा सका है। आज़ादी के बाद से अभी तक देश की कोई भी संवैधानिक संस्था इसका कोई ऐसा मसौदा पेश नहीं कर सकी है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इसमें क्या और कैसे प्रावधान होंगे?

भारत एक ऐसा देश है जहां कई

धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। निःसंदेह, यह केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, देश के सभी धर्म और सामाजिक इकाइयां भी इससे प्रभावित होंगी। धार्मिक समुदायों को अपने निजी क़ानून प्रिय हैं। उनके लिए उत्तराधिकार, विरासत, विवाह और तलाक़ जैसे मामलों के क़ानून उनके मज़हब पर निर्भर होते हैं।

व्यावहारिकता बनाम एजेंडा : सवाल उठता है कि क्या इतने धर्म, पंथ और जातिगत विविधताओं वाले भारत देश में यूसीसी व्यावहारिक है? जवाब स्पष्ट है कि यदि व्यावहारिक होता तो संविधान सभा इस मुद्दे को नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं रखती? 22वें विधि आयोग ने फ़िलहाल इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर राय मांगी है। आयोग द्वारा आनन-फ़ानन में यूसीसी को लेकर आगे बढ़ने से यही संकेत मिलते हैं कि आयोग जल्दी ही इस विषय पर अपनी सकारात्मक राय दे देगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में क़ानूनी या संवैधानिक नतीजों की परवाह किए बिना यूसीसी लागू करने के भरसक प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के ही कार्यकाल में गठित 21वां विधि आयोग साफ़ कह चुका था कि यूसीसी की न तो ज़रूरत है और न ही यह वांछनीय है। इस स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी यदि 22वां आयोग इस विषय को प्राथमिकता दे रहा है तो समझा जा सकता है कि इसमें आयोग से ज़्यादा केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की रुचि है।



उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के ही कार्यकाल में गठित 21वां विधि आयोग साफ़ कह चुका था कि यूसीसी की न तो ज़रूरत है और न ही यह वांछनीय है। इस स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी यदि 22वां आयोग इस विषय को प्राथमिकता दे रहा है तो समझा जा सकता है कि इसमें आयोग से ज़्यादा केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की रुचि है।

दरअस्ल, एक बार क़ानून लागू होने के बाद केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार गर्व के साथ दावा कर सकेगी कि उसने कश्मीर से धारा-370 हटाने के बाद राम मंदिर का निर्माण भी करा दिया और तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प यूसीसी को भी व्यावहारिक धरातल पर उतार दिया। अगर क़ानून को अदालत में चुनौती दी गई तो भी उसका राजनीतिक लाभ यह कहकर उठाया जा सकता है कि हमने तो वादा पूरा कर दिया, मगर विरोधी ऐसा नहीं चाहते हैं।

ग़ौर करने वाली बात यह है कि 22वां विधि आयोग यूसीसी को लेकर जो सार्वजनिक राय मांगी है। उसकी सीख आयोग को उत्तराखण्ड की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने दी है। इस कमेटी ने न्यायविदों, क़ानूनविदों और बुद्धिजीवियों के बजाए आम जनता और ख़ासकर एक राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा के लोगों की राय एकत्र की थी।

उत्तराखंड में 85 प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं की है जिसे यूसीसी से कोई परेशानी नहीं है। राय देने वाले बहुसंख्यक लोग किसी अन्य समुदाय के लिए व्यक्तिगत मामलों में विशेषाधिकार क्यों चाहेंगे? जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारत के नागरिकों को न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की अपितु, धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता की गारंटी भी देते हैं। वैयक्तिक क़ानून भी धार्मिक रीति-रिवाजों में ही आते हैं।

सवाल उठता है कि यह संहिता अल्पसंख्यकों और समाज के सभी वर्गों को एक साथ कैसे संतुष्ट करेगी। निश्चित रूप से, ऐसी संहिता संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ असंगत होगी। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की भी पूरी गारंटी देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार, किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को उसकी भाषा, संस्कृति या पहचान से वंचित नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ़ हो गया है कि आम चुनाव 2024 में भाजपा इसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इन चुनावों में सत्ताधारी भाजपा गठबंधन का यह एक प्रमुख एजेंडा होगा। वैसे भी यह भाजपा का परंपरागत मुद्दा रहा है।

यूसीसी के समर्थकों का एक प्रमुख तर्क यह रहा है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि देश भविष्य में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है उनमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता भी शामिल है, लेकिन इन नीति-निर्देशक सिद्धांतों के कई अन्य उद्देश्य भी हैं जिन्हें हासिल करना राज्य के लिए बाध्यकारी है। उदाहरण के लिए सभी नागरिकों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शराब पर प्रतिबंध, आर्थिक असमानता की खाई कम करना तथा महिला सशक्तिकरण आदि, लेकिन आज तक यह केवल काग़ज़ पर लिखा हुआ नियम है, इसे लागू नहीं किया गया है। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की दशा किसी से छुपी नहीं है। आज़ादी के बाद से ही देश में शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर होता रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की केवल एक प्रतिशत आबादी, जिसमें अमीर लोग शामिल हैं, देश की 40.5 प्रतिशत दौलत के मालिक हैं।

'भारत भावना' के प्रतिकूलः भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसलिए कोई कृत्रिम एकरूपता कभी भी देश में एकता पैदा नहीं कर सकती, बल्कि यह अल्पसंख्यकों और समाज के कुछ वर्गों के बीच चिंता और असुरक्षा की भावना ही पैदा करेगी। वर्तमान भाजपा सरकार कहती है कि वह देश में एकता बनाएगी, तो क्या वह सचमुच एकता बनाएगी? हमारा देश अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं और संस्कृतियों का उद्गम स्थल है। पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत क़ानून) धार्मिक और सामाजिक मामलों में सभी समूहों के मूल्यों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ताकि देश के प्रत्येक निवासी को अपने धर्म के अनुसार पारिवारिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता हो। हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम व्यक्तिगत आवेदन अधिनियम आदि इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं।

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद इन अधिनियमों और ऐसे ही अन्य सभी अधिनियमों का क्या होगा? इस पर कोई टिप्पणी तो यूसीसी का मसौदा सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा, किन्तु लोगों में उनके पर्सनल

सवाल उठता है कि क्या इतने धर्म, पंथ और जातिगत विविधताओं वाले भारत देश में यूसीसी व्यवहारिक है? जवाब स्पष्ट है कि यदि व्यवहारिक होता तो संविधान सभा इस मुद्दे को नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं रखती? 21वां विधि आयोग साफ़ कह चुका था कि यूसीसी की न तो ज़रूरत है और न ही यह वांछनीय है। इस स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी यदि 22वां आयोग इस विषय को प्राथमिकता दे रहा है तो समझा जा सकता है कि इसमें आयोग से ज़्यादा केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की रुचि है।

लॉज के निरस्त किए जाने की प्रबल आशंकाएं हैं।

पर्सनल लॉ देश में बसने वाले नागरिकों के धर्मों से संबंधित हैं। इन पर हमला वास्तव में उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है। किसी के धार्मिक अधिकारों पर हमला 'भारत भावना' के प्रतिकूल है।

ऐसा करने से चिंता और बेचैनी बढ़ेगी। एकता एवं शांति स्थापित नहीं होगी। वास्तविक एकता तब आएगी जब विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक-दूसरे का सम्मान करेंगे और मतभेदों के बावजूद एकजुट रहना सीखेंगे। यही असली राष्ट्रीय एकता और एकजुटता है और लोग सदियों से इसी तरह रहते आए हैं।

'एक देश एक क़ानून' का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इस तर्क के अनुसार, देश में राज्य सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही राज्य स्तर पर क़ानूनों की कोई आवश्यकता है। राज्य का प्रशासन केंद्र से राज्यपाल नियुक्त करके ही किया जा सकता है, लेकिन क़ानून राज्य स्तर पर भी बनाया जाता है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। संघ सूची और राज्य सूची के दायरे को दो अलग-अलग संघ सूची और राज्य सूची बनाकर परिभाषित किया गया है। जिस तरह राज्यों की ज़रूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, उसी तरह अलग-अलग धर्मों और वर्गों के लोगों का पारिवारिक जीवन और समस्याएं भी अलग-अलग होती हैं।

आज, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अलग-अलग नागरिक और दंड संहिताएं हैं, लेकिन वे एकजुट हैं और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। पूरी दुनिया में भारत की यही विशेषता रही है कि यहां अनेकता में एकता है। भारत की इस प्राकृतिक विविधता को जबरन एकरूपता में परिवर्तित करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है।

भारत में लोगों के अधिकांश पारिवारिक क़ानून उनकी प्राचीन परंपरा पर आधारित हैं। हिंदू धर्म में चार सौ से अधिक पारंपरिक नागरिक क़ानून हैं। अधिकतर लोग अपने पर्सनल लॉ से आध्यात्मिक और भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों को एक ही क़ानून में बांधना न्यायसंगत नहीं होगा।

भारत की सामाजिक व्यवस्था में एकता और शांति के साथ विकास की नई धारा को स्वीकार कर आगे बढ़ने के बजाय राजनीतिक हित को सामने रखकर किया जा रहा प्रयास देश की एकता और अखंडता को दिन-ब-दिन नुक़सान पहुंचा रहा है। किसी ख़ास वर्ग या समुदाय से ज़ोर-ज़बरदस्ती करके भले ही वोटों का इज़ाफ़ा हो जाए और आम चुनावों में फिर से जीत मिल जाए, लेकिन इसमें देश का कल्याण नहीं है। इसलिए हमारे नीति-निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यूसीसी नागरिकों के निजी क़ानूनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने वाला साबित न होने पाए।

■■



भारत की सामाजिक व्यवस्था में एकता और शांति के साथ विकास की नई धारा को स्वीकार कर आगे बढ़ने के बजाय राजनीतिक हित को सामने रखकर किया जा रहा प्रयास देश की एकता और अखंडता को दिन-ब-दिन नुक़सान पहुंचा रहा है। किसी ख़ास वर्ग या समुदाय से ज़ोर-ज़बरदस्ती करके भले ही वोटों का इज़ाफ़ा हो जाए और आम चुनावों में फिर से जीत मिल जाए, लेकिन इसमें देश का कल्याण नहीं है।

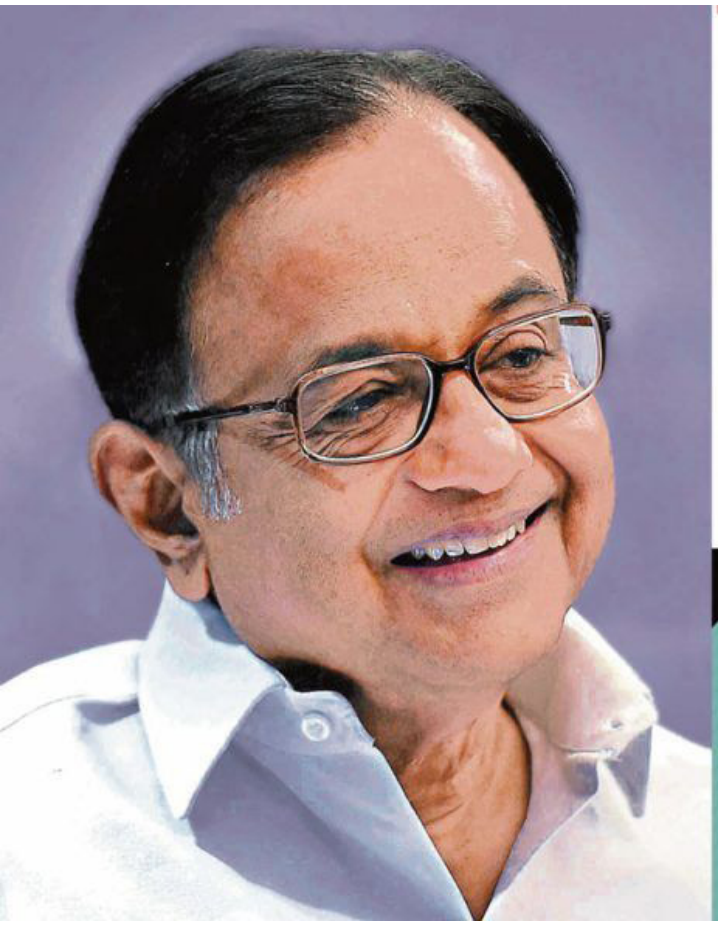



यूनीफॉर्म नहीं रिफॉर्म

अभिमत



पी. चिदंबरम

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर पूरा एक अध्याय है। अनुच्छेद 44 अध्याय-4 में दिए गए 18 अनुच्छेदों में से एक है। समानता और ग़ैर-भेदभाव की दृष्टि से अनुच्छेद 38 (2) में आय में असमानता को कम करने और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को ख़त्म करने के संबंध में दिए गए निर्देश महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि से अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश इस अध्याय का मुख्य स्तंभ है। अनुच्छेद 43 राज्य को 'जीवन-यापन' सुरक्षित करने का निर्देश देता है और यह कामकाजी वर्ग के लाखों लोगों की आकांक्षा है। यह दुखद है कि इन निर्देशक सिद्धांतों को लेकर शायद ही कोई बहस होती है। ये सरकार के एजेंडे पर नहीं हैं। आरएसएस-भाजपा की मेहरबानी और सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के कारण अकेले अनुच्छेद 44 ने राजनीतिक जगह घेर ली है।

चलिए अनुच्छेद 44 की भाषा पर ग़ौर करते हैं : 'राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।' इन शब्दों के अपने अर्थ हैं। किसी शब्द का अर्थ वह नहीं होता जैसा कि, 'मैं इसका क्या अर्थ चुनता हूं'। 'समान' का अर्थ 'सर्वनिष्ठ' नहीं है। 'सुनिश्चित करने का प्रयास' का अर्थ 'सुनिश्चित करेगा', नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर और उनके सहयोगी अज्ञानी नहीं थे। उन्हें भारतीय लोगों के इतिहास, धर्मों, जातिगत मतभेदों, सामाजिक और परिवार प्रणालियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों का गहरा ज्ञान और

समझ थी, और उन्होंने अध्याय चार के शब्दों का चयन बहुत सावधानी से किया।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) व्यक्तिगत क़ानूनों (पर्सनल लॉज) का संक्षिप्त रूप है। यह चार क्षेत्रों के क़ानूनों से संबंधित है : विवाह तथा विच्छेद, उत्तराधिकार तथा विरासत, अल्पवयस्कता तथा संरक्षण और दत्तक तथा भरण-पोषण। सदियों से देश के विभिन्न वर्गों के लोगों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के व्यक्तिगत क़ानून विभिन्न तरह से विकसित हुए हैं। लोगों पर शासन करने वाले ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूगोल, उर्वरता, विजय, प्रवासन और विदेशी प्रभावों ने भी व्यक्तिगत क़ानूनों को प्रभावित किया।

व्यक्तिगत कानूनों में निश्चित रूप से और सुधार की ज़रूरत है। 21वें विधि आयोग ने विवेक सम्मत सलाह दी है: 'इस आयोग ने ऐसे कानूनों पर विचार किया, जो कि भेदभावकारी हैं, न कि यूसीसी पर जो कि इस समय न तो आवश्यक है और न ही वांछित है... सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता कि एकरूपता के लिए हमारा आग्रह अपने आपमें देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा बन जाए।'मुख्य शब्द रिफॉर्म (सुधार) है, न कि यूनिफॉर्म (एक समान)।

व्यक्तिगत क़ानून (पर्सनल लॉ) आज जिस रूप में हैं, उनमें लैंगिक भेदभाव के साथ ही ग़ैर-लैंगिक भेदभाव भी मौजूद हैं। अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर प्रथाएं मौजूद हैं। सामाजिक रूप से कुछ निंदनीय प्रथाएं और रीतियां भी मौजूद हैं। निस्संदेह व्यक्तिगत क़ानूनों के ऐसे पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। व्यक्तिगत क़ानूनों में सुधार कोई नई बात नहीं है। यह संविधान के निर्माण के समय से राष्ट्रीय एजेंडा पर है। यह भारत की प्रथम संसद (1952-57) की अग्रणी प्राथमिकताओं में शामिल था। सुधार के समर्थकों में जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर शामिल थे। रूढ़िवादी और संकीर्ण वर्गों के लोगों के विरोध के बावजूद हिंदू लॉ को संशोधित और संहिताबद्ध करते हुए चार बड़े

"ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आपको और अपने अहलो अयाल को दोज़ख़ की आग से।" (कुरआन)
अल्लाह के रसूल ने फरमाया : "मॉ–बाप का बेहतरीन तोहफा अपने बच्चों की सही तालीम व तर्बीयत है।" (हदीस)

अल्लाह की बंदगी और अपने अहलो अयाल(परिवार) व बंदों के हक़ के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने(समझने) के लिए कुरआन व हदीस, सीरत (नबी सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी), इस्लामी तारीख़(इतिहास) व हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी–इल्मी, फ़िक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला (अध्ययन) कीजिए।

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

कुरआन मजीद – अरबी, मय तर्जुमा, तफ्सीर, हदीस, सीरतुन्नबी, सीरते सहाबा व सहाबियात, तारीख़े इस्लाम, बच्चों के लिए तर्बीयती किताबें, दावती लिट्रेचर, उर्दू–हिन्दी डिक्शनरी, पारा पेटी, रहल जायनमाज़ वगैरह ...

आर्डर पर हासिल करें।

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	420/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह True Success Both Worlds

मेन रोड तलापार, राधावल्लभ वार्ड, करेली जिला–नरसिंहपुर(म.प्र.)

प्रो. अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

क़ानून पारित किए गए-

–हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

–हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

–हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम, 1956

–हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956

एक युवा राष्ट्र ने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के व्यक्तिगत क़ानूनों में सुधार के रूप में उल्लेखनीय काम किया था। यह क्रांतिकारी था, लेकिन क्रांति ने कुछ



पहलुओं को क़ायम रहने दिया। भेदभाव करने वाले सारे प्रावधानों को नहीं हटाया गया : अविभाजित हिंदू परिवार को एक वैध इकाई के रूप में स्वीकार किया गया; और विवाह से जुड़ी रीतियों और प्रथाओं को अपवाद के रूप में मान्यता दी गई। कुलनाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अधिकांश विवाह रीति-रिवाजों के अनुसार होते हैं।

वर्ष 1961, 1962, 1964, 1976, 1978, 1999, 2001 और 2003 में और संशोधन किए गए। वर्ष 2005 से 2008 के दौरान यूपीए सरकार ने कुछ और सुधार किए। ऊपर वर्णित चार में से तीन अधिनियम में संशोधन किए गए। इनमें संपत्ति पर बेटियों और बेटों को समान अधिकार प्रदान किया जाना एक क्रांतिकारी बदलाव था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पारित किए गए। जहां विधायी निकाय झिझक रहे थे, वहां अदालतें सामने आईं। 22 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिमों के बीच तलाक़-ए-बिद्दत (तीन तलाक़) को असंवैधानिक क़रार दिया।

जब हमें आदिवासियों के व्यक्तिगत क़ानूनों का सामना



करना पड़ा, तो हम चुप कर गए। संविधान के अनुच्छेद 366, खंड 25 में अधिसूचित जनजातियों पर ऊपर वर्णित चारों अधिनियमों में से एक भी लागू नहीं होता। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की छठी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें इन राज्यों की ज़िला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को उत्तराधिकार, विवाह, विच्छेद और सामाजिक रीतियों को लेकर क़ानून बनाने का अधिकार प्रदान करने से संबंधित एक पैराग्राफ़ जोड़ा गया। नगालैंड (अनुच्छेद 371 ए), सिक्किम (अनुच्छेद 371 एफ) और मिजोरम (अनुच्छेद 371 जी) में धार्मिक या सामाजिक रीतियों और प्रथागत क़ानून को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी संस्थाएं इसी तरह के विशेष प्रावधानों की मांग कर रही हैं।

व्यक्तिगत क़ानूनों में निश्चित रूप से और सुधार की ज़रूरत है। 21वें विधि आयोग ने विवेक सम्मत सलाह दी है : 'इस आयोग ने ऐसे



क़ानूनों पर विचार किया, जो कि भेदभावकारी हैं, न कि यूसीसी पर जो कि इस समय न तो आवश्यक है और न ही वांछित है...सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता कि एकरूपता के लिए हमारा आग्रह अपने आपमें देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा बन जाए।'

माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को इस तरह से प्रस्तुत किया है, जिसमें यूसीसी के पक्ष या विरोध में ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। यह दृष्टिकोण भारत के लोगों को गूंगी भेड़ों की तरह मानता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण यही होगा कि सुधारों को लेकर सार्थक बातचीत शुरू हो। मुख्य शब्द रिफॉर्म (सुधार) है, न कि यूनिफॉर्म (एक समान)। ■■

(साभार : जनसत्ता)

यूसीसी : एक सियासी जाल

समाधान



एस. अमीनुल हसन

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मौजूदा बहस हम सबके लिए एक जाल के समान है। यह एक ऐसा निर्जन मरुस्थल है जिसका न तो मार्ग स्पष्ट है और न ही लक्ष्य निर्धारित है। यह एक ऐसा घना जंगल है, जिसकी गहराइयों में अंधेरा ही अंधेरा है। इसको पेश करने वाले इस समय अंधेरे से बहुत निकट और उजाले से बहुत दूर हैं। वे समाज की जटिल समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते, बल्कि उसे एक अनावश्यक मुद्दे में उलझाना चाहते हैं और उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता रूपी एक जाल उन्होंने बिछाया है। उन्हें उम्मीद है कि हम जाने-अनजाने इसमें ज़रूर फंसेंगे। यदि हम इस बहस में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से हिस्सा लेने लगते हैं तो मानो कि हम उनके जाल में फंस रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 2023 में भी कुछ चुनाव बाक़ी हैं और वर्ष 2024 का चुनाव सर पर खड़ा है। हमारे समाज में अनगिनत गंभीर समस्याएं हैं। हर जगह असमानता व्याप्त है। बराबरी नाम की कोई चीज़ हमारे यहां नहीं है। समान नागरिक संहिता के समर्थकों और इस मुद्दे को हवा देने वालों के समक्ष जब सब इन्सान ही बराबर नहीं हैं तो आख़िर उनके विवाह, तलाक़, मुआवज़ा, उत्तराधिकार व संपत्ति आदि से संबंधित क़ानून ही बराबर क्यों हो जाएं? दरअस्ल, यह एक सियासी चाल है और मुसलमानों को फंसाने का एक जाल है। कुछ लोग यह चाहते हैं कि बहस का एजेंड मुसलमान बने रहें और

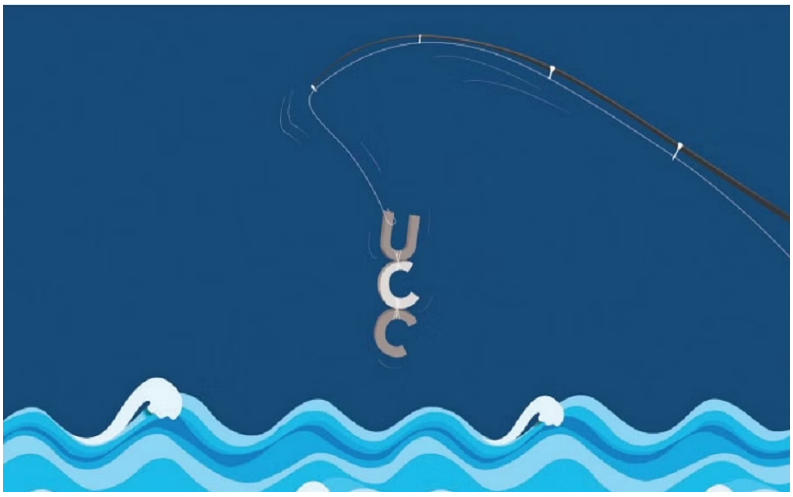

लोगों की निगाहों से अस्ल समस्याएं ओझल हो जाएं।

अपनी विफलताओं पर लीपा-पोती करने के लिए उन्हें कोई तमाशा चाहिए और यह तमाशा उनकी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मुसलमानों को चार बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पहली बात तो यह है कि जो लोग इस मुद्दे को उछाल रहे हैं वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से अलग-थलग एक रास्ता निकालना चाहते हैं। ये देश के आम लोगों के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो भावनाओं में न बहें और विरोधस्वरूप सड़कों पर न आएं। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में मुसलमानों के पास एक संयुक्त मंच मौजूद है। आपमें से जो कोई भी कुछ कहना या करना चाहे, इसी मंच के माध्यम से करना बेहतर होगा। यह सड़कों की समस्या नहीं है, यह कोई अभियान या मुहिम चलाने का मामला नहीं है, बल्कि होशमंदी के साथ बौद्धिक स्तर पर लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि यह कोई जनमत संग्रह का मामला नहीं है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर कराई जा रही ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए।

तीसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि वर्ष 2021 में विधि आयोग ने ख़ुद कहा था कि देश को समान नागरिक संहिता की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो वर्ष के बाद यदि विधि

आयोग ने विभिन्न समूहों, संगठनों, बुद्धिजीवियों और देश की आम जनता से राय मांगी है तो यह समझा जा सकता है कि वह एक तोता है और उसे जो पढ़ाया गया है वही वह बोल रहा है।

समान नागरिक संहिता बनाना कोई आसान काम नहीं है। यह मामला मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम के बीच का नहीं है। यह केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है और न केवल मुसलमान ही इससे प्रभावित होंगे। इसके प्रभाव में तो पूरा दक्षिण भारत होगा। इसके प्रभाव में देश के पूर्वोत्तर का पूरा इलाक़ा होगा।

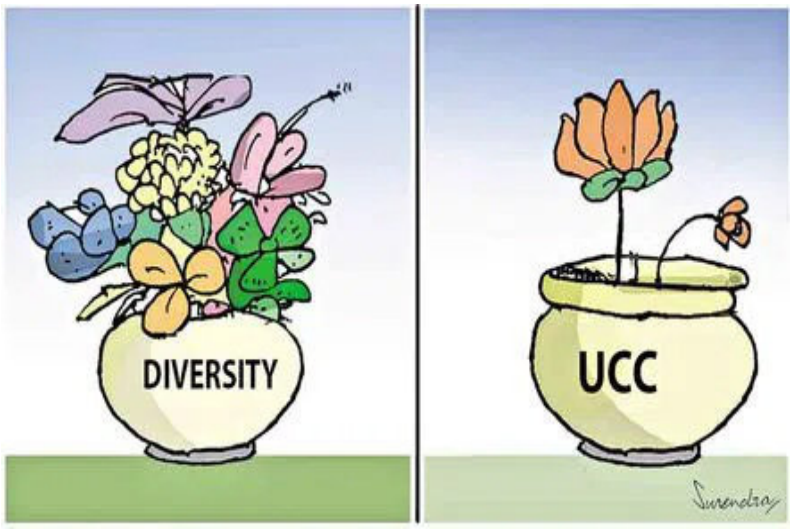

आप इसके प्रभाव क्षेत्र को समझें, यह कोई आसान काम नहीं है। इस देश में दसियों धर्म, सैकड़ों जनजातियां, हज़ारों जातियां और बिरादरियां पाई जाती हैं। उनके रस्मों-रिवाज ही उनके लिए क़ानून की हैसियत रखते हैं। कोई अपने रस्मो-रिवाज को आसानी से छोड़ नहीं देगा। हां यह बात सही है कि हमारे यहां कुछ ग़लत रस्मो-रिवाज भी इसमें दाख़िल हो गए हैं, हमें जल्द से जल्द इसमें सुधार करने की ज़रूरत है।

चौथी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि एक बहुत बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा देश के सामने पेश किया जा रहा है कि "एक देश में दो क़ानून कैसे हो सकते हैं?'' बहुत से लोग अपनी अज्ञानता के कारण इस झूठ और प्रोपेगेंडे को समझ नहीं पाते। हम सबको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो क़ानून मौजूद है और पिछले 75 वर्षों में जो क़ानून बनाए गए, बहुत ही विस्तृत हैं। पूरी दुनिया में क़ानूनों का इतना बड़ा ज़खीरा कहीं भी नहीं है। इसमें आपराधिक, सिविल, कालाधान, यातायात, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक क़ानूनों के अलावा न जाने कितने क़ानून हैं। इन क़ानूनों की सूची बहुत लंबी है। दुनिया में सबसे अधिक, सबसे विस्तृत और सबसे विशाल क़ानून भारत में पाए जाते हैं। यहां नियमों और अधिनियमों के पहाड़ मौजूद हैं।

किसने कहा कि देश में दो क़ानून पाए जाते हैं! क्या देश में दो तरह के आपराधिक क़ानून पाए जाते हैं? क्या यातायात के नियम दो तरह के पाए जाते हैं? क्या देश में व्यापार और वाणिज्य के क़ानून अलग-अलग हैं? पूरे भारत में केवल चार क्षेत्रों-विवाह तथा तलाक़, उत्तराधिकार तथा विरासत, अल्पवयस्कता तथा संरक्षण और दत्तक तथा भरण-पोषण को छोड़कर बाक़ी सभी मामलों में एक समान नागरिक संहिता अभी भी मौजूद है।

भारत के इस पूरे पहाड़ रूपी क़ानूनों में यदि आप सिविल लॉ को देखें तो वह एक छोटे से पत्थर के बराबर है। एक छोटा सा हिस्सा है। इस सिविल लॉ में पर्सनल लॉ उससे छोटा है। इस पर्सनल लॉ में मुस्लिम लॉ एक राई के दाने के बराबर है। वर्तमान सत्ताधारी चाहते हैं कि इस राई के दाने को पर्वत बना दिया जाए और हम इसमें अपनी नादानी की वजह उनकी मदद कर देते हैं।

भारत के इस पूरे पहाड़ रूपी क़ानूनों में यदि आप सिविल लॉ को देखें तो वह एक छोटे से पत्थर के बराबर है। एक छोटा-सा हिस्सा है। इस सिविल लॉ में पर्सनल लॉ उससे छोटा है। इस पर्सनल लॉ में मुस्लिम लॉ एक राई के दाने के बराबर है। वर्तमान सत्ताधारी चाहते हैं कि इस राई के दाने को पर्वत बना दिया जाए और हम इसमें अपनी नादानी की वजह उनकी मदद कर देते हैं। यदि उक्त चार बातों का हम ध्यान रखेंगे तो समान नागरिक संहिता के सियासी जाल में फंसने से बचे रहेंगे। ■■

कविता



ओमप्रकाश वाल्मीकि

ठाकुर का कुआँ

चूल्हा मिट्टी का
मिट्टी तालाब की
तालाब ठाकुर का।

भूख रोटी की
रोटी बाजरे की
बाजरा खेत का
खेत ठाकुर का।

बैल ठाकुर का
हल ठाकुर का
हल की मूठ पर हथेली अपनी
फ़सल ठाकुर की।

कुआँ ठाकुर का
पानी ठाकुर का
खेत-खलिहान ठाकुर के
गली-मोहल्ले ठाकुर के
फिर अपना क्या?
गाँव?
शहर?
देश?

आर्थिक दृष्टिकोण का दुष्चक्र

मंथन



नईम अलहिन्दी

भारत चीन को पीछे छोड़ता हुआ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत है, परन्तु इस पर विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या आबाद है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने की आवाज़ें उठती रही हैं।

एक आम धारणा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक ऐसा दुष्चक्र है जो ग़रीबी को बढ़ाता है और फिर यही ग़रीबी जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनती है और यह देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा माना जाता



लोगों में सदा यह आशंका बनी रहती है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या से ग़रीबी में वृद्धि होगी, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कमी आएगी, विकास-दर भी धीमी रहेगी और देश एक बेहतर कल से वंचित रह जाएगा। लंबे समय से देश में क़ानून बनाकर है कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाए तो देश में बहुमुखी विकास होगा, ग़रीबी में भी कमी आएगी और लोगों का जीवन-स्तर बेहतर होगा। ऐसी ही चिंता आज से क़रीब सवा दो सौ साल पहले भी जताई गई थी। ब्रिटेन के एक विद्वान थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस

(Thomas Robert Malthus)। उन्होंने एक थ्योरी दी और आगाह किया कि आबादी इसी रफ़्तार से बढ़ती रही तो इंसान के वजूद पर ख़तरा आ सकता है। परन्तु विभिन्न वैश्विक अध्ययन और रिपोर्टें इस दावे को पूरी तरह से नकार देती हैं। विश्व में संसाधन और दौलत के वितरण पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ग़रीबी का मुख्य कारण जनसंख्या नहीं, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण है।

यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इनका एक सरसरी-सा अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि समस्या कहीं और है और उंगली कहीं और उठायी जा रही है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ग़रीबी की समस्या का सरल-सा समाधान है कि संसाधनों के वितरण में हो रही असमानता को समाप्त किया जाए। विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लगभग सारी संस्थाओं और समितियों पर भी इन्हीं पूंजीवादियों का कंट्रोल है और यदि यह कहा जाए तो सत्य से बहुत दूर नहीं होगा की दौलत पर अपनी इस पकड़ को बनाए रखने के लिए ग़रीबों के कल्याण को जनसंख्या वृद्धि की ओर मोड़ दिया गया है। लगभग सभी देशों की सरकारों पर भी इन्हीं पूंजीपतियों का कंट्रोल है, इसलिए वह भी इन्हीं की भाषा बोलती हैं। और निशाने पर होता है ग़रीब जो न कुछ समझने की स्थिति में होता है, न कुछ कहने की।

वर्ष 2009 में अमेरिका से प्रकाशित पुस्तक ''द स्पिरिट लेवेल'' ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए यह बात उजागर करने का प्रयत्न किया कि विश्व की 90 प्रतिशत समस्याओं का सबसे बड़ा कारण असमानता है, न की जनसंख्या। रिचर्ड विलकिंसन और केट पिक्केट ने अपनी इस पुस्तक में चौंका देने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।



वे कहते हैं कि देश चाहे अमीर हो या ग़रीब, यदि वहां असमानता का वर्चस्व हो, तो उस समाज में ग्यारह विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे-शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता, नशीली दवाओं का सेवन, शिक्षा में कमी, हिंसा व अपराध की अधिकता, सामाजिक अविश्वास व सामुदायिकता में गिरावट आदि। यह इसी पुस्तक का प्रभाव था कि 2010 में होने वाले चुनाव में इंग्लैंड के 75 सांसदों ने 'समानता संकल्प' पर अपने हस्ताक्षर करते हुए यह घोषणा की कि वह ऐसी नीति को प्रोत्साहित करेंगे जिनसे समाज में अमीर और ग़रीब के बीच की खाई को कम किया जा सके।

वर्तमान जीवन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज़ को मात्र आर्थिक दृष्टिकोण से देखती है और उसी में हल तलाशने का प्रयत्न करती है हालांकि इस क्षेत्र से बाहर आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में समस्या का समाधान पहले से मौजूद होता है। जनसंख्या और उससे संबंधित समस्त समस्याओं का ऐसा ही एक हल इस्लाम भी प्रस्तुत करता है जो कि बिल्कुल प्राकृतिक, स्वीकार्य, तर्कसंगत और सरल है और यदि विश्व की व्यवस्था को उसके अनुसार चलाया जाए तो यह समस्याएं, जो आज इतना विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और जिनका समाधान लोगों पर ज़ुल्म करने में ही नज़र आता है, बड़ी सरलता से इनका निदान किया जा सकता है। संसाधन और दौलत के संबंध में इस्लाम चाहता है कि इसका वितरण

इस प्रकार हो कि हर व्यक्ति को इससे लाभ उठाने का पूरा अवसर प्राप्त हो और यह मात्र कुछ अमीरों के हाथों में ही सिमट कर न रह जाए। "जो कुछ भी अल्लाह बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की ओर पलटा दे वह अल्लाह और रसूल और नातेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफ़िरों के लिए है ताकि वह तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न खाता रहे।"

(क़ुरआन, 59:7)

इस्लाम इस प्रकार अमीरों और ग़रीबों में अन्तर को कम करता है और संसाधनों पर मात्र कुछ लोगों के एकाधिकार को रोकता है। इसके लिए इस्लाम किसी बल के प्रयोग की वकालत नहीं करता, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार सामान्य तरीक़े से काम करने का अवसर मिले, ताकि उसकी गतिविधियां अधिक फलदायी, स्वस्थ और उपयोगी हो सकें। एक ओर इस्लाम जहां कार्ल मार्क्स के सरकार द्वारा बलपूर्वक समानता थोपने के सिद्धांत को अस्वीकार करता है, वहीं दूसरी ओर वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी इन्कार करता है। वह अमीर और ग़रीब को एक दूसरे का सहायक और पूरक मानता है और उनमें स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इन्सान की यह सबसे बड़ी भूल है कि वह स्वयं को अपने जीवन और संसार का मालिक समझ बैठा है और अपने सारे फ़ैसले करते समय वह अपने वास्तविक पालनहार के अस्तित्व को ही भुला देता है। न तो इन्सान इस संसार को चला रहा है और न ही उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह इसे चला सके। उसका और उसके द्वारा बनाए गए सभी संगठनों और संस्थाओं, जिसमें शासन-व्यवस्था के लिए सरकारें भी शामिल हैं, का कार्य अस्ल मालिक द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की खोज करना और सुनियोजित ढंग से उनके वितरण की व्यवस्था करना है।

किसी भी व्यक्ति, समुदाय या सरकार के लिए यह निर्णय लेना असंभव है कि जनसंख्या को किस स्तर तक घटाया जाए या संसाधनों को किस स्तर तक बढ़ाया जाए कि यह दोनों एक संतुलित स्तर पर आ जाएं। जब भी यह प्रयत्न किया गया है लोगों पर अत्याचार और अन्याय हुआ है। रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री को जिस प्रकार यह अधिकार नहीं है कि वह अपने बाद किसी अन्य यात्री को प्रवेश से रोक सके, उसी प्रकार यह अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि वह लोगों के जीवन के बारे में निर्णय ले। ■■

किसी भी व्यक्ति, समुदाय या सरकार के लिए यह निर्णय लेना असंभव है कि जनसंख्या को किस स्तर तक घटाया जाए या संसाधनों को किस स्तर तक बढ़ाया जाए कि यह दोनों एक संतुलित स्तर पर आ जाएं। जब भी यह प्रयत्न किया गया है लोगों पर अत्याचार और अन्याय हुआ है। रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री को जिस प्रकार यह अधिकार नहीं है कि वह अपने बाद किसी अन्य यात्री को प्रवेश से रोक सके, उसी प्रकार यह अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि वह लोगों के जीवन के बारे में निर्णय ले।



खाद्य सुरक्षा

बर्बादी के प्रति जगे ज़िम्मेदारी का भाव

सरोकार



जितेंद्र गौतम

भुखमरी की समस्या तब और विकराल रूप ले लेती है, जब विश्व की जनता जहां एक ओर अनाज की क़िल्लत से जूझ रही हो, वहीं दूसरी ओर भोजन बर्बादी का प्रतिशत भी बहुत बड़ा हो। आज भोजन की बर्बादी भी दुनिया भर में भुखमरी के मूल कारणों में शामिल हो गई है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में क़रीब 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन किया जाता है, जबकि आबादी क़रीब 8 अरब है। इसके बावजूद लगभग 86 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं और हम अपने उत्पादन का 33 प्रतिशत बर्बाद भी कर देते हैं।

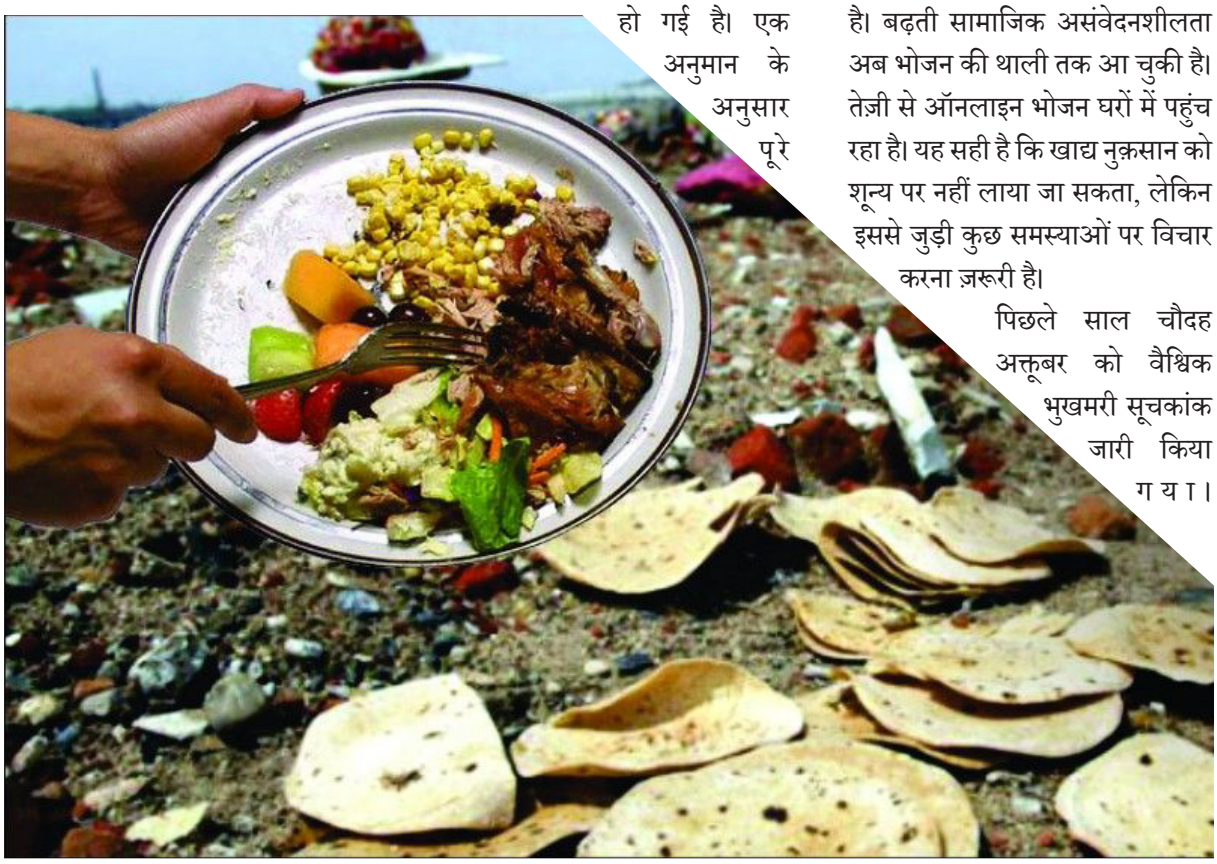

भोजन बर्बाद करने की समस्या सिर्फ़ कार्यात्मक नहीं, बल्कि आदतन भी है। बढ़ती सामाजिक असंवेदनशीलता अब भोजन की थाली तक आ चुकी है। तेज़ी से ऑनलाइन भोजन घरों में पहुंच रहा है। यह सही है कि खाद्य नुक़सान को शून्य पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ समस्याओं पर विचार करना ज़रूरी है।

पिछले साल चौदह अक्तूबर को वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया।

उसमें 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर था। अब माना जा रहा है कि देश में भूख और कुपोषण का स्तर 'गंभीर' स्तर पर है। ग़ौरतलब है कि इस सूची में भारत 2020 में 94वें और 2021 में 101वें स्थान पर था। अनुमान के मुताबिक़ आज लगभग 16.3 फ़ीसद भारतीय कुपोषित हैं। इसी क्रम में यह भी तथ्य है कि प्रत्येक तीन बच्चों में से लगभग एक का क़द औसत से कम है। जिसका अर्थ है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई का अनुपात उम्र के हिसाब से कम है।

हमारे धार्मिक मूल्य भी हमें सिखाते हैं कि भोजन की बर्बादी ग़लत है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, जितने से पेट भरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। अनुपात यह है कि अपने पेट को पचास फीसद ठोस भोजन से, पच्चीस फीसद तरल पदार्थ से भर कर और बाकी पच्चीस फ़ीसद को खाली रखना चाहिए।



यह स्थिति भारत के दूध, दाल, केले का सबसे बड़ा उत्पादक होने और दुनिया में गेहूं, चावल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद है। भारत मछली और पोल्ट्री जैसे पशुधन उत्पादों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है, लेकिन सच यह भी है कि यहां का चालीस फ़ीसद भोजन कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अगर सिर्फ़ भोजन की बर्बादी को ही रोक लिया जाए तो इससे भारत की बहुत-सी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत व्यक्ति प्रतिदिन एक सौ सैंतीस ग्राम भोजन बर्बाद करता है। यानी 0.96 किलोग्राम प्रति सप्ताह या पचास किलोग्राम प्रति वर्ष। भारत में 40 फ़ीसद भोजन बर्बाद हो जाता है जो एक वर्ष में 92,000 करोड़ रुपये के बराबर है। भोजन की बर्बादी तेज़ी से गंभीर रूप धारण कर रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक़, हर साल क़रीब 1.3 अरब टन खाना बर्बाद हो रहा है। एफएओ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का एक तिहाई बर्बाद हो जाता है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग साढ़े सात सौ अरब डॉलर या सैंतालीस लाख करोड़ रुपए का नुक़सान होता है।

संयुक्त राष्ट्र भुखमरी रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि दुनिया पूरी वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करती है, फिर भी लगभग 811 मिलियन लोग प्रतिदिन भूखे रहते हैं। इसमें जितनी भूमिका एक बड़ी आबादी का ग़रीबी, बेरोज़गारी और अभाव से जूझना है, उसके मुक़ाबले इसका एक सबसे बड़ा कारण भोजन की बर्बादी है। खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 931 मिलियन टन भोजन हर साल बर्बाद हो जाता है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग सत्रह फ़ीसद है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

(यूएनईपी) की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, 2021 के अनुसार इकसठ फ़ीसद खाद्य अपशिष्ट घरों से, छब्बीस फ़ीसद खाद्य सेवा से और तेरह फ़ीसद खुदरा से आता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और चीन में हर साल 1.3 अरब टन भोजन की बर्बादी होती है।

यह एक गंभीर विरोधाभास है। एक देश जो अपनी भूखी आबादी को खिलाने के लिए संघर्ष करता है, वहां भी बहुत सारा भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। यह विरोधाभास भारत को विचित्र स्थिति में डाल देता है। यानी यह पेट भरने के लिए अन्न अधिक उत्पादन करता है और साथ ही अधिक बर्बाद भी करता है। जबकि बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं। एक आकलन के मुताबिक़ भारतीय उतना ही खाना बर्बाद करते हैं, जितना पूरा ब्रिटेन खाता है। हमारी सड़कों और कचरे के डिब्बे, लैंडफिल के पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

भोजन की बर्बादी केवल भुखमरी या प्रदूषण का ही संकेत नहीं है, बल्कि देश में कई आर्थिक समस्याओं, जैसे महंगाई का भी संकेत है। खाद्य हानि और बर्बादी हमारी खाद्य प्रणालियों की स्थिरता को कमज़ोर करती है। जब भोजन खो जाता है या बर्बाद हो जाता है, तो इस भोजन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी संसाधन-पानी, भूमि, ऊर्जा, श्रम और पूंजी सहित बहुत कुछ बर्बाद हो जाते हैं। खाद्य अपव्यय का कार्बन पदचिह्न प्रतिवर्ष वातावरण में जारी जीएचजी के बराबर कार्बन डाईऑक्साइड के 3.3 बिलियन टन होने का अनुमान है।

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वैश्विक भूख से निपटना और दुनिया भर में

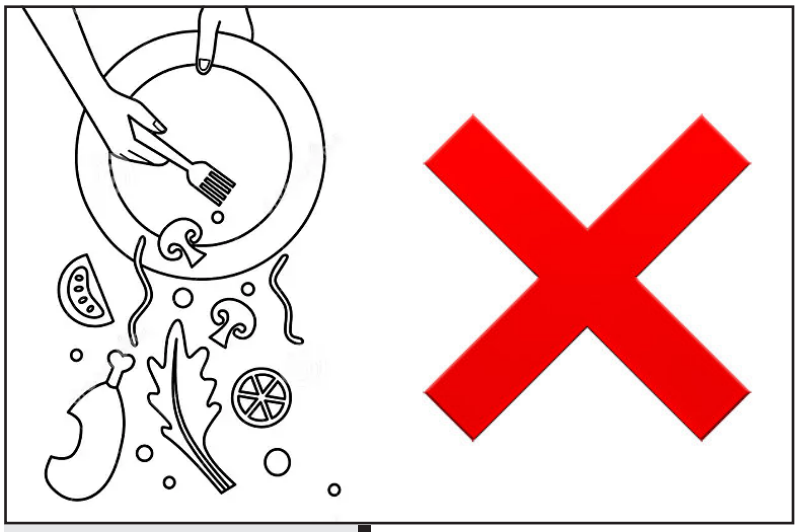

भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए हमें कुछ छोटे क़दम उठाने चाहिए, जैसे बचे हुए भोजन का सही इस्तेमाल करना, उतना ही भोजन ख़रीदना, जितना हमें चाहिए। किसी भी प्रकार से भोजन की बर्बादी के प्रति सचेत रहना। छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर हम भोजन की बड़ी बर्बादी को रोकने में सफल हो सकते हैं। इससे वैश्विक भुमरी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी मिलेगी। लोगों में भोजन के प्रति एक ज़िम्मेदारी का भाव पैदा करना ज़रूरी है।

भूख मिटाने का प्रयास करना है, लेकिन सवाल उठता है कि भूख से निपटने के लिए भोजन की बर्बादी को रोकने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं? ज़रूरी है कि अब हम इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

हमारे धार्मिक मूल्य भी हमें सिखाते हैं कि भोजन की बर्बादी ग़लत है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, जितने से पेट भरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। अनुपात यह है कि अपने पेट को पचास फ़ीसद ठोस भोजन से, पच्चीस फ़ीसद तरल पदार्थ से भर कर और बाक़ी पच्चीस फ़ीसद को ख़ाली रखना चाहिए।

भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए हमें कुछ छोटे क़दम उठाने चाहिए, जैसे बचे हुए भोजन का सही इस्तेमाल करना, उतना ही भोजन ख़रीदना, जितना हमें चाहिए। किसी भी प्रकार से भोजन की बर्बादी के प्रति सचेत रहना। छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर हम भोजन की बड़ी बर्बादी को रोकने में सफल हो सकते हैं। इससे वैश्विक भुखमरी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी मिलेगी। लोगों में भोजन के प्रति एक ज़िम्मेदारी का भाव पैदा करना ज़रूरी है।

विचार



प्रो. शेख मोईन
शेख नईम

कज़न मैरेज की हक़ीक़त

मुसलमान क़रीबी रिश्ते में शादी क्यों कर सकते हैं? क्या इस्लाम भाई बहन में शादी की अनुमति देता है? इस तरह के प्रश्न अज्ञानता के कारण होते हैं। आज हमारे बहुत से देशबंधुओं में कज़न-मैरेज को लेकर बहुत-सी ग़लतफ़हमियां हैं। किसी औरत से केवल इस कारण से शादी न करना कि वह कज़िन है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और नासमझी की बात है, क्योंकि पूरी मानवजाति एक ही मां-बाप आदम और हव्वा की संतान है। हिन्दू धर्म के अनुसार सभी ब्रह्मा से पैदा हुए तो सभी भाई-बहन हो गए।

क़रीबी रिश्तेदारों जैसे मामा, मौसी, बुआ के परिवारों का आपस में मेल-जोल बहुत ज़्यादा होता है। इस्लाम में इन रिश्तेदारों में शादी की जा सकती है। बात विवाह की हो या किसी और परंपरा की, विश्व में जितने भी पंथ या धर्म हैं, सबमें हर बात के अपने-अपने तय नियम हैं। आदिवासियों में भी कुछ रिवाज होते हैं, वो भी जीवन के हर संस्कार को लेकर इनसे बंधे हैं। यहां तक कि जो लोग ख़ुद को धर्म से परे मानते हैं, मतलब ख़ुद को एग्नॉस्टिक या नास्तिक मानते हैं, वे भी किसी न किसी तरह सामाजिक व्यवस्थाओं से ज़रूर



जुड़े हुए हैं।

ख़ून के रिश्तों में विवाह यानी कज़न-मैरेज के बारे में अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम, क़ानून और मान्यताएं हैं। कॉन्सैंग्विन मैरेज के लिए विविध धर्मों और संप्रदायों में विविध नियम हैं। अगर हम इस सिलसिले में विविध धार्मिक ग्रंथों को खंगाले तो पता चलता है कि हर धार्मिक ग्रंथ में इसके संदर्भ मौजूद हैं और वे इसकी अनुमति देते हैं।

इस्लाम में कज़िन (क़रीबी रिश्ते) में शादी करने की अनुमति है न कि अनिवार्यता। क़रीबी रिश्ते और वास्तविक रिश्ते अलग-अलग हैं। कुछ क़रीबी रिश्तों में शादी मान्य है। वास्तविक या सगे ख़ून के रिश्तों में शादी करना हराम है, मतलब कि वर्जित है। इस्लाम एक व्यावहारिक और तार्किक धर्म है और ईश्वर की ओर से सीधा मार्गदर्शन है, जिसमें सभी बातें खोल-खोलकर बता दी गई हैं। सिवाए इस्लाम के दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, जिसमे शादी के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी गई हो। जीवन के हर पहलू की तरह इस्लाम ने इस मामले में भी शादी किनसे की जा सकती और किनसे नहीं की जा सकती उसका स्पष्ट उल्लेख हमें दिया है।

पवित्र क़ुरआन में फर्स्ट-कज़न मैरेज को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। सूरा निसा की 22 से लेकर 24वीं आयत में अल्लाह ने उन महिलाओं

का उल्लेख किया है, जिनसे विवाह की मनाही है। 22 से लेकर 24वीं आयत में साफ़ लहजे में लिखा है कि, मांएं, सगी बहनें, सगी भतीजियां, पिता की सगी बहनें (बुआ), मां की सगी बहनें (मौसी) और वो महिलाएं जिनसे दूध का रिश्ता हो, सभी से शादी करना वर्जित है और ईश्वर की नज़र में घृणित काम है। इन प्रतिबंधों के अलावा एक मुसलमान, जिसकी ईश्वर में आस्था हो वो अपनी फ़र्स्ट-कज़न से शादी कर सकता है।

ईसाई धर्म तीन प्रमुख मतों में विभाजित है-रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स और तीनों प्रमुख मतों में तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा मतभेद रहा है। इसलिए कज़न-मैरेज को लेकर भी राय अलग-अलग है। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म में कज़न-मैरेज को लेकर उदाहरण समय के साथ बदलते रहे हैं। रोम में ईसाईयत की शुरुआत के समय फ़र्स्ट-कज़न-मैरेज की अनुमति हुआ करती थी। शुरू की बात करें तो रोम के पतन के बाद कैथोलिक कज़न-मैरेज पर पाबंदियां बढ़ने के कई कारण बताए जाते हैं। एक स्पष्टिकरण ये दिया जाता है कि चर्च की नीतियों पर जर्मन प्रभाव आ रहा था। मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन ने कज़न मैरेज को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की है। मार्टिन लूथर के अनुसार, 'कज़न मैरेज' पर कैथोलिक बैन सिर्फ़ चर्च का एक्सप्रेशन है न कि कोई ईश्वरी क़ानून और इस बैन को हटाया जाना चाहिए। इन्हीं आलोचनाओं के लिहाज़ से प्रोटेस्टेंट चर्च कज़न-मैरेज की इजाज़त देते हैं। किंग हेनरी के शासन के दौरान एंग्लिकन कम्युनियन की स्थापना हुई, इस संप्रदाय में भी कज़न-मैरेज को लेकर मनाही नहीं है। वहीं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च सेकेंड-कज़न तक विवाह को उचित नहीं मानता। जबकि साइप्रस के ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा साल 2010 के लेटेस्ट कांस्टीट्यूशन के अनुसार सेकेंड-कज़न तक भी विवाह की छूट है।

मूल रूप से दो बाइबिल हैं, पुराना नियम (ओल्ड टेस्टामेंट) और नया नियम (न्यू टेस्टामेंट)। जहां तक कज़न मैरेज का सवाल है तो हिब्रू बाइबिल में जिन रिश्तों को लेकर प्रतिबंध की बात की गई है, उनमें कज़न-मैरेज शामिल नहीं है। यहूदियों के शुरुआती इतिहास से जुड़े हुए कुछ नामों की तफ़सील में कई जगह कज़न-मैरेज के उदाहरण मिलते हैं। जैसे-आइज़ेक जो कि इज़राइल की बारह शुरुआती ट्राइब्स के दादा (ग्रैंड फ़ादर) माने जाते हैं, उन्होंने रेबेका से शादी की, जो उनकी कज़न थी। उनके बेटे जैकब ने भी लिया और रशेल से विवाह किया, दोनों ही जैकब की फर्स्ट-कज़न थीं। ज़ेलोफेहाद के मरने के बाद उनकी पांच बेटियों की शादी भी ज़ेलोफेहाद के भतीजों से हुई। यूं तो यह पुराने समय की बातें हैं, लेकिन इनसे ये साफ़ हो जाता है कि यहूदियों में कज़न-मैरेज को लेकर कोई मनाही नहीं है।

अगर आज की बात करें तो इज़राइल के हब्बानी यहूदियों में क़रीब 55 प्रतिशत विवाह फर्स्ट कज़न्स के बीच होते हैं, समारिटंस यहूदियों में भी हाई इन्ब्रीडिंग रेट है, लगभग 40 प्रतिशत समारिटंस के विवाह फर्स्ट-कज़न्स के साथ हुए हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मैरेज एक्ट) पिता के पक्ष में पांच और मां के पक्ष में तीन पीढ़ियों तक विवाह की इजाज़त नहीं देता। मगर कुछ प्रथा एवं

उक्त विवरण के पश्चात प्रश्न उठता है कि दुनिया भर में कज़न-मैरिज को किस रूप में देखा जाता है? पश्चिमी देशों में फर्स्ट-कज़न मैरिज 19वीं और 20वीं सदी के बीच कम हुई हैं। मगर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में कज़न मैरिज के पक्षधर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दुनिया भर में ऐसी शादीयां होने की ख़ास वजहें कई हो सकती हैं- जैसे अपनी सांस्कृतिक मूल्य (कल्चरल वैल्यूज़), जियोग्राफिक प्रोक्सिमिटी और ख़ानदानी जायदाद (फैमिली वेल्थ) को बनाए रखने के प्रयास आदि। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि दुनियाभर में अधिक तर कज़न-मैरिज अरेंज्ड होती हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों में इसे लेकर मत-भिन्नता है, कहीं-कहीं कुछ क़ानून भी बनाए गए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी हैं।

परंपराओं में क्रॉस-मैरेज मतलब मां के पक्ष में फर्स्ट कज़न-मैरेज की अनुमति दी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कज़न-मैरेज की बात करें तो महाभारत काल से ही क्रॉस-कज़न मैरेज के उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी फर्स्ट-क्रॉस-कज़न सुभद्रा से विवाह किया था। सुभद्रा अर्जुन के ममेरे भाई कृष्ण की बहन थीं। ये भी कहा जाता है कि उत्तरा के अलावा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी उनकी क्रॉस-कज़न शाशिरेखा से भी हुई थी। हिंदुओं में पिता के पक्ष में कज़न-मैरेज का प्रतिशत तो न के बराबर है, लेकिन हिंदुओं में जियोग्राफिक-डाइवर्सिटी धार्मिक मामलों में भी लागू होती है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में फर्स्ट-कज़न मैरेज होती रही हैं।

हिंदुओं में फ़र्स्ट-कज़न से शादी करना 1955 के हिंदू मैरेज एक्ट के तहत ग़ैर-क़ानूनी है, लेकिन अगर किसी क्षेत्रीय रीति के अनुसार ऐसा विवाह होता है तो वो ग़ैर-क़ानूनी नहीं है। कई दक्षिणी राज्यों में ब्राह्मण भी कज़न-मैरेज करते हैं। कर्नाटक में लगभग 30 प्रतिशत हिंदू विवाह सेकेंड या फर्स्ट कज़न्स के बीच होते हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में विवाह को लेकर मानसिकता अधिकतर उत्तरी राज्यों जैसी है। कुछ अध्ययनों के अनुसार मुंबई में क़रीब 7 प्रतिशत हिंदू विवाह कज़न्स में होते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 से पहले तक लगभग एक तिहाई हिंदू विवाह कज़न-मैरेज के दायरे में हुए।

जहां तक कज़न-मैरेज का प्रश्न है तो बौद्ध धर्म में कज़न-मैरेज को लेकर कोई विशेष प्रतिबंध या प्रावधान नहीं है, मगर यहूदी और मुस्लिम धर्म की तरह यहां भी एक सेट ऑफ़ रिलेशन में सेक्सुअल मिसकंडक्ट की सख़्त मनाही है।

धर्मों के संदर्भ में उक्त विवरण के पश्चात प्रश्न उठता है कि दुनिया भर में कज़न-मैरेज को किस रूप में देखा जाता है? पश्चिमी देशों में फर्स्ट-कज़न मैरेज 19वीं और 20वीं सदी के बीच कम हुईं हैं। मगर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में कज़न मैरेज के पक्षधर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दुनिया भर में ऐसी शादियां होने की ख़ास वजहें कई हो सकती हैं- जैसे अपनी सांस्कृतिक मूल्य (कल्चरल वैल्यूज़), जियोग्राफिक प्रोक्सिमिटी और ख़ानदानी जायदाद (फैमिली वेल्थ) को बनाए रखने के प्रयास आदि। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि दुनियाभर में अधिकतर कज़न-मैरेज अरेंज्ड होती हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों में इसे लेकर मत-भिन्नता है, कहीं-कहीं कुछ क़ानून भी बनाए गए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी हैं।

हमारा देश इस मामले में भी बहुत डायवर्सिफ़ाई है। अलग-अलग इलाकों और संस्कृतीयों में कज़न-मैरिज की दर काफ़ी अलग-अलग है। देश में फैमिली लॉ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को ध्यान में रखता है और क़ानून की नज़र में ये सभी समान हैं। मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉ के अनुसार फर्स्ट कज़न से शादी वैध है और यह कानूनी रूप से भी मान्य है। वहीं, ईसाई अल्पसंख्यकों में फ़र्स्ट-कज़न मैरिज की प्रथा भी लोकेशन पर निर्भर है। जैसे कि दक्षिणी राज्यों में ईसाई-कज़न-मैरिज की दर अधिक है।

हमारा देश इस मामले में भी बहुत डायवर्सिफ़ाई है। अलग-अलग इलाक़ों और संस्कृतियों में कज़न-मैरेज की दर काफ़ी अलग-अलग है। देश में फैमिली लॉ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को ध्यान में रखता है और क़ानून की नज़र में ये सभी समान हैं। मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉ के अनुसार फर्स्ट कज़न से शादी वैध है और यह क़ानूनी रूप से भी मान्य है। वहीं, ईसाई अल्पसंख्यकों में फ़र्स्ट-कज़न मैरेज की प्रथा भी लोकेशन पर निर्भर है। जैसे कि दक्षिणी राज्यों में ईसाई-कज़न-मैरेज की दर अधिक है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुनिया में कज़न-मैरेज केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि हर समुदाय में होती है। मानव समाज में कज़न मैरेज का चलन प्राचीनकाल से मौजूद है। दुनिया के मुख्य धर्मों में भी कज़न-मैरेज की अनुमति दी गई है और इसके कई उदाहरण और साक्ष्य आज भी मौजूद हैं।

■■

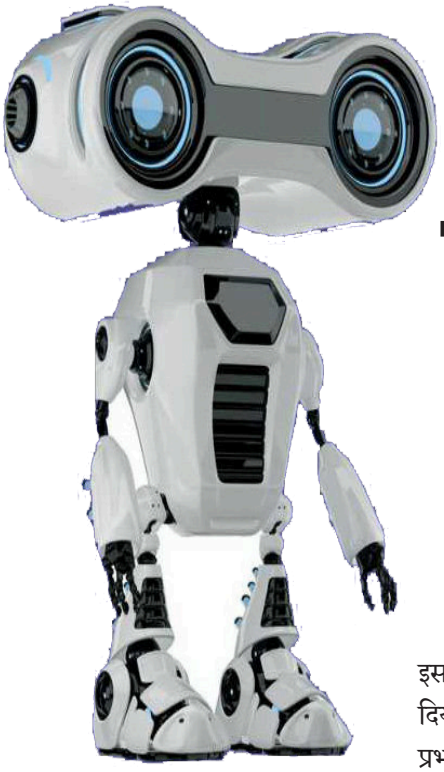

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जोखिम

दृष्टिकोण



डॉ. प्रदीप कुमार

वैज्ञानिक प्रगति मनुष्य और समाज को बदल देती है। महज़ एक सदी के भीतर इसने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। आज वैज्ञानिक तकनीकों का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से पड़ने लगा है। वैज्ञानिक तकनीकों का प्रभाव घातक सिद्ध होगा या लाभदायक? बहुत हद तक यह इस बात पर निर्भर करेगा कि, हम उस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव सबके सामने हैं। हम इस बात पर चिंता भी जताते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम कितने गंभीर हैं? जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

वैज्ञानिक प्रगति और उनका इस्तेमाल आधुनिक जीवन की नींव है। वैज्ञानिक प्रगति बुरी नहीं होती। अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार हमारे लिए अच्छे साबित हुए हैं, लेकिन इस प्रगति के नकारात्मक असर भी हमारे सामने हैं, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित हैं। ऐसी ही एक वैज्ञानिक तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जिसे आज पूरी दुनिया में आशंकाओं भरे दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।

जिस सक्रियता के साथ, जल्दबाज़ी में, बड़े-बड़े सपने संजोकर आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस आविष्कार किया गया, वह अब उल्टा पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इसे लेकर किया गया आकलन सकारात्मक न होकर नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगा है। जिस खोज पर वैज्ञानिक इतरा रहे थे, उसी की स्थिति यह हो गई है कि वह विनाशकारी नज़र आने लगी है।

पूरी दुनिया में बहुत कम अंतराल में इसको लेकर जिस तरह की खलबली मची और वैज्ञानिक से लेकर शोधकर्ता, सामाजिक संगठन, यहां तक कि दुनिया के बड़े-बड़े देश, सरकारें तक इससे चिंतित हैं, उससे यही समझ आता है कि मामला कोई मामूली नहीं रह गया है। इस पर प्राथमिकता से निर्णय के साथ इसे भविष्य के लिए बड़ी सीख के रूप में लेना होगा।

इससे जुड़ी तमाम वेबसाइटों और संगठनों ने भी आसन्न कई ख़तरों की आशंका व्यक्त करते हुए चिंता जताई है। चिंता इस बात की है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता पर ही नियंत्रण खो चुका होगा, तो चुनौतियों से कैसे निपटेगा? सारे काम यांत्रिक हो जाएंगे, तो मनुष्य अपनी ऊर्जा और क्षमताओं का उपयोग कहां करेगा? ऑपरेशन थियेटर में सर्जरी, सड़कों, रेल पटरियों पर बिना चालक के गाड़ी, आसमान में बिना पायलट के जहाज़, यानी सारा कुछ आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस करेगा

तो मानव मस्तिष्क का क्या उपयोग रह जाएगा? कुछ भी हो, मानव जैसी संवेदना, सोच और समझ भला कृत्रिम संचालक या नियंत्रक में कहां होगी?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने भी माना है कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस जनित भाषा मॉडल यानी 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' (एलएलएम) आधारित उपकरण इंसानी समझ की नक़ल करते हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उपकरणों के संचालन के लिए कड़ी परीक्षा और

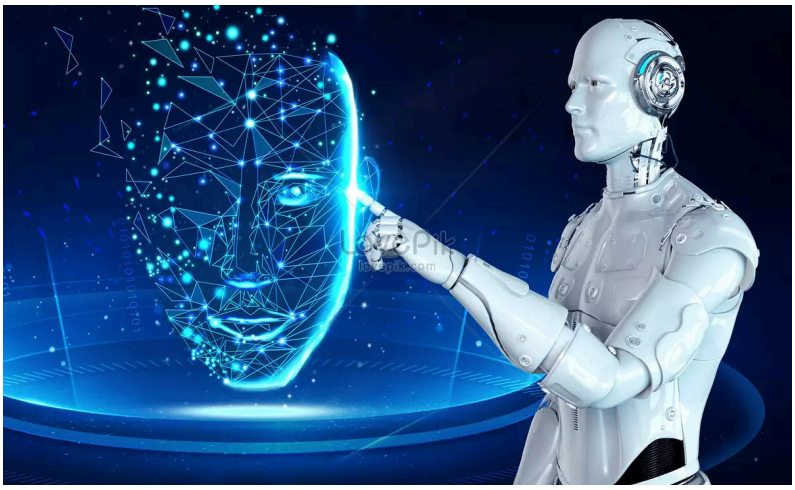

मूल्यांकन के बाद ही होना चाहिए। बग़ैर निगरानी के आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस का उपयोग रोगियों के लिए शुरू में लाभदायक, लेकिन बाद में बेहद ख़तरनाक हो सकता है। डब्लूएचओ मानता है कि चिकित्सा व्यावसायियों, रोगियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को इससे लाभ तो होगा, लेकिन किसी भी तकनीक के केवल एक पहलू यानी लाभ को देखना बहुत बड़ा जोखिम भी होगा।

अब जबकि आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस को लेकर लाभ-हानि की चिंताओं के बीच नई बहस की शुरुआत हो चुकी है, वहीं तकनीक के महारथियों की आपसी प्रतिस्पर्धा से भी लगने लगा है कि इसकी अति ही कहीं विनाश का कारण न बनने लगे।

जानकारों का मानना है कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस की स्थापना इस विश्वास पर की गई थी कि इसमें मानव जीवन के लगभग हर पहलू को बेहतर बनाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन इसमें गंभीर जोखिम भी हैं। दुनिया इसके होने वाले संभावित नुक़सान को लेकर डरी हुई है। हालांकि बहुत से मामलों में यह उपयोगी है, लेकिन जब इसके नकारात्मक उपयोग और प्रभावों पर ध्यान जाता है तो लाभ के मुक़ाबले हानि अधिक दिखाई देती है।

आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि महज़ पांच सालों में तीस फ़ीसद नौकरियों को आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस और 'ऑटोमेशन' द्वारा हड़प लिया गया। अमेरिका की दिग्गज निवेश बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस तीस करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर जगह ले सकता है। कई जानकार बताते हैं कि यह कई 'प्रोग्रामिंग' नौकरियों के लिए गंभीर ख़तरा है। इस तकनीक के विशिष्ट जानकारों का कहना है कि यह प्रोग्रामरों की नौकरियों को प्रभावित करेगा।

ऐसा नहीं कि केवल तकनीक के क्षेत्र में इससे चुनौती पैदा हुई हो, बल्कि दूसरे तमाम क्षेत्रों में भी इसका असर दिखने लगा है। वह दौर भी बहुत जल्द सामने आने वाला है जब लोगों को आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, वह भी बहुत कम वेतन के साथ करनी पड़ेगी। विश्व आर्थिक मंच की इस भविष्यवाणी को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जिसमें आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस से वित्त क्षेत्र में तीन बदलाव तय हैं, जिनमें मानवीय नौकरी में कटौती, आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस की नौकरियों में बढ़ोत्तरी और कार्य दक्षता में मानव के मुक़ाबले कई गुना सटीकता और तेज़ी। निश्चित रूप से इसका सीधा असर मनुष्यों की उपयोगिता पर ही पड़ेगा। कृषि, खनन और विनिर्माण के क्षेत्र में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस मनुष्य के सहज जीवन के लिए बड़ी और सबसे कठिन चुनौती साबित होगा।

यह हृदय और मस्तिष्क विहीन ऐसी दुधारी तलवार है जो कभी ज़रूरी भी लगती है और कभी विनाश का कारण भी जान पड़ती है। चूंकि इसके नकारात्मक नतीजों से बचना मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए नई प्रौद्योगिकियों को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना आवश्यक है।

जल्द ही इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो दुनिया की पूरी जनसंख्या इससे बुरी तरह से प्रभावित होगी। कितना अच्छा होता कि हम इस पर अपने अस्तित्व के लिए ही सही, रोक लगाते और मानव ही मानव का मददगार बनता और जिससे हमारा संसार मौलिकता की सुंदरता के आभास से दूर जाने से बच जाता।

■■

मर्दे-क़लंदर

मौलाना फ़ारुक़ ख़ान

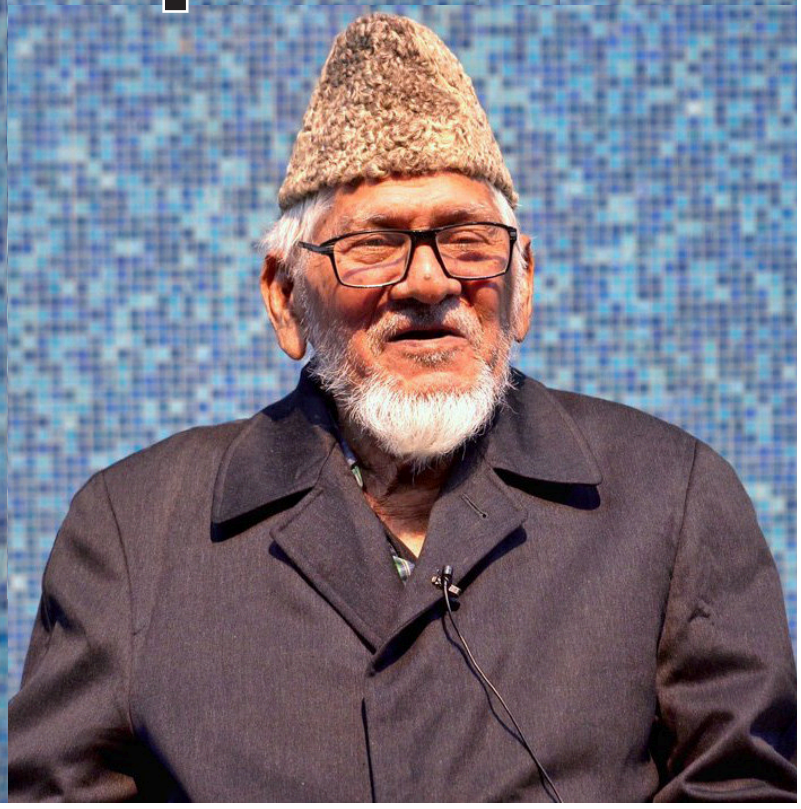

श्रद्धांजलि

डॉ० सलीम ख़ान

मौलाना फ़ारूक़ ख़ान साहब के इन्तिक़ाल की ख़बर ने दिल तोड़ दिया। मौलाना एक साहबे-दिल दरवेश थे। उनके बिछड़ जाने से अगर दिल न टूटता तो कब टूटता? एक मस्त क़लंदर इस दुनिया से हंसते-खेलते चला गया। हदीस में आता है कि, "दुनिया मोमिन का क़ैदख़ाना और काफ़िर (अविश्वासी) की जन्नत है।" यही वजह है कि काफ़िर अपनी जन्नत से रोते हुए जाता है, लेकिन ईमान वाले को दुनिया से जाने का मलाल नहीं होता, हां उसके पीछे छूटे परिजन ज़रूर उदास हो जाते हैं। मर्दे-मोमिन इस दुनिया से पलायन करने के बजाय हंसी-ख़ुशी यहां रहता है, क्योंकि यह क़ैदख़ाना भी अल्लाह तआला का बनाया हुआ है। कायनात के रब ने जन्नत का रास्ता इसी क़ैदख़ाने के बीच से रखा, इसलिए अल्लाह की ख़ुशी का तलबगार ईमान वाला बन्दा इसमें ख़ुशी-ख़ुशी रहता है। उसको न तो कोई व्यक्तिगत शिकायत होती है और न वह हालात का शिकवा करता है, क्योंकि "आख़िरत के मुक़ाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़्स समुद्र में उंगली डाले, फिर देखे कि उसने कितना पानी ले लिया है।" (हदीस)। ज़िन्दगी का यही तसव्वुर (परिकल्पना) ज़ोह्द और तक़्वा (संयम एवं ईशपरायणता) की बुनियाद है। सब्र और क़नाअत (कम चीज़ पर भी सन्तोष करने) के उच्च दर्जे

उसी पर निर्मित होते हैं। पनघट की यह डगर बहुत कठिन है। कम लोग इस पर चल पाते हैं, मगर मौलाना फ़ारूक़ ख़ां इस राह के ऐसे रौशन चिराग़ थे जिनसे बेशुमार लोगों ने रस्मी और तंज़ीमी (सांगठनिक) ताल्लुक़ से ऊपर उठकर उनसे फ़ायदा उठाकर ज्ञान प्राप्त किया।

दुनिया और उसमें जो कुछ है, उससे बेपरवाह ज़ाहिदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मगर देखने का मौक़ा फ़ारूक़ ख़ान साहब की शख़्सियत में मिला। इस हवाले से जमाअते-इस्लामी के अंदर मौलाना का कोई समकक्ष या सानी नहीं है। उनको मैंने पहली बार मौलाना मुहम्मद मुस्लिम साहब के जनाज़े में देखा। वह आगे-आगे सबसे अलग-थलग चल रहे थे। उस ज़माने में जमाअत का मर्कज़ बुज़ुर्गों की एक ऐसी आकाशगंगा से जगमगा रहा था कि उनमें से हर कोई अपने आप में एक संगठन था। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि यह फ़ारूक़ ख़ान साहब हैं। न जाने क्यों मिलने का शौक़ पैदा हुआ, तो पहली मंज़िल पर स्थित उनकी कोठरी में पहुंच गया। दुआ-सलाम के बाद उन्होंने पूछा आपको चाय पिलाई जाए? मैं बोला ज़रूरी नहीं, लेकिन पी सकते हैं। वह अपनी कुर्सी से उठे और कोने में पड़ी मेज़ पर रखी बिजली की केतली से पानी गर्म करके चाय बनाने लगे। उनका ख़ुद चाय बनाना यह मेरी आशा के ख़िलाफ़ था, मैं शर्मिंदा हुआ, मगर रोकने का साहस न कर सका। यह मुख़्तलिफ़, मगर ख़ुशगवार तजरिबा पहली और आख़िरी बार हुआ था। उसके बाद चितली क़ब्र के दफ़्तर में जाकर उनसे मिलना मामूल का हिस्सा बन गया। इस चाय-बिस्कुट के साथ मौलाना का ख़ुलूस और तपाक और गर्मजोशी उनसे मुलाक़ात के बिना लौटने की राह में रुकावट बन जाती थी। बक़ौल इक़बाल—

न तख़्तो-ताज में न लश्कर व सिपाह में है,
जो बात मर्दे-क़लंदर की बारगाह में है।

मौलाना फ़ना फ़िद्दीन और फ़ना फ़िल-क़ुरआन थे, यानी वह इस्लाम और क़ुरआन के लिए मर-मिटने वाले थे। एसआईएम के विजयवाड़ा में आयोजित दस रोज़ा तर्बियती प्रोग्राम में उनसे कहा गया कि एक बैठक में पूरी सूरा यासीन का दर्स दें तो वह तैयार हो गए। इस चार घंटे की बैठक में सारे शरीक होने वाले ऐसे चुपचाप सुनते रहे मानो किसी चुम्बक के साथ लोहे के कण चिपके हुए हैं। एक बार महाबलेश्वर कैंप में उनको क़ुरआन-मजीद के अदबी एजाज़ (साहित्यिक चमत्कार) पर बोलने को दिया गया, तो उन्होंने लगभग डेढ़ घंटे तक़रीर की। इस दौरान बैठक में भाग लेने वाले कभी हंसते, तो कभी रोने लगते। रात गए बैठक ख़त्म हुई तो लोगों ने परवानों की तरह उन्हें घेर लिया और देर तक सवालात की मदद से अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहे। इस तरह की इतनी सारी घटनाएं हैं कि समझ में नहीं आता किसे छोड़ें और किसको बयान करें।

“दुनिया और उसमें जो कुछ है, उससे बेपरवाह ज़ाहिदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मगर देखने का मौक़ा फ़ारूक़ ख़ान साहब की शख़्सियत में मिला। इस हवाले से जमाअते-इस्लामी के अंदर मौलाना का कोई समकक्ष या सानी नहीं है। उस ज़माने में जमाअत का मर्कज़ बुज़ुर्गों की एक ऐसी आकाशगंगा से जगमगा रहा था कि उनमें से हर कोई अपने आपमें एक संगठन था।”

एक बार दिल्ली में उनको खाने की दावत दी तो कहने लगे जुमा के बाद कुछ दोस्तों के साथ जामा मस्जिद में मुलाक़ात होती है। मैं भी आग्रह करके उस मजलिस में पहुंच गया तो पता चला मौलाना के मोतक़िदीन (श्रद्धालुओं) का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हर जुमे को इकट्ठा हो जाता है और यह महफ़िल लगभग चार बजे शाम तक चलती रहती है। उनका ग़ैर-मुस्लिमों का भी एक क्षेत्र था, जहां मौलाना नियमित रूप से क़ुरआन की व्याख्या करने जाया करते थे।

मौलाना फ़ारूक़ ख़ान साहब लगभग पैंतीस साल पहले पूर्व अमीरे-जमाअत मौलाना अबुल्लैस साहब के साथ मुंबई तशरीफ़ लाए थे। मैंने पूछा कि क्या आप मुंबई की सैर करना पसंद करेंगे तो वह राज़ी हो गए। मैं उन्हें गेट ऑफ़ इंडिया और वहां समुद्र का मुख़्तसर सफ़र करके एलीफ़ेंटा ग़ार में ले गया। इस सफ़र में मेरी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर वह भी ख़ूब आनन्दित हुए और फिर ज़िंदगी भर जब भी मैं उनसे मिलता रहा तो वह उसकी याद दिलाते रहे। यह भी एक बुद्धिजीवी, क़ुरआन और हदीस के टीकाकार की ज़िंदगी का निराला पहलू है।

मौलाना के साथ एसआईएम में हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनकी किसी और के साथ में कल्पना भी मुश्किल थी। मर्कज़ के अंदर एक ज़माने में दस रोज़ा तर्बियती इजतिमा हुआ करता था। उसका प्रोग्राम तर्तीब

देते वक़्त ख़्याल आया कि भाग लेने वालों को एक दिन मौलाना की संगत में गुज़ारने का मौक़ा देना चाहिए। मौलाना फ़ारूक़ ख़ान से दरख़ास्त की गई तो वह उसके लिए निस्संकोच तैयार हो गए। यह बात किसी और से कही जाती कि पंद्रह बीस अजनबी नौजवान दिन-भर आपके साथ गुज़ारेंगे, कोई दर्सो-तदरीस या तक़रीरो-तज़कीर नहीं होगी। वह कुछ पूछना हो तो पूछेंगे। आपको अपना लेखन का कार्य करते हुए देखेंगे। बिल्कुल अनौपचारिक ढंग से आपके साथ जिएंगे तो वह उसे अपने वक़्त की बरबादी समझकर नाराज़ हो जाता, लेकिन मौलाना राज़ी हो गए। भाग लेने वालों ने अपने उद्गारों के दौरान इस सरगर्मी को सबसे अधिक प्रभावी बताया। मुझे यक़ीन है कि लगभग पैंतीस साल बाद अब भी वे लोग उसकी तपिश महसूस करते होंगे। मौलाना से हम जैसे लोगों ने सीखा कि तक़रीर के बिना भी ततहीरे-क़ल्ब (मन साफ़ करने की प्रक्रिया) का सामान होता है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने सच फ़रमाया कि "जब तुम किसी आदमी को देखो कि उसे दुनिया से दिलचस्पी कम है और वह बातें भी कम करता है तो उससे क़रीब हुआ करो, क्योंकि वह हिक्मत की बातें करता है।"

मौलाना की एक ख़ूबी यह थी कि वह अपने बुज़ुर्गों के साथ बहुत ही अक़ीदत (श्रद्धा) के बावजूद किसी से मरऊब (प्रभावित) नहीं थे। वे बड़े से बड़े आलिमे-दीन के साथ अपने ज्ञान सम्बन्धी मतभेदों का खुलकर इज़हार कर दिया करते थे, लेकिन किसी के प्रति कोई विद्वेष भाव या तुच्छ समझने का अंश तक नहीं था। यही वजह है कि वह किसी आलिमे-दीन से एक मसले पर मतभेद करते तो दूसरे पर इत्तिफ़ाक़ (सहमति) करके खुले दिल से तारीफ़ भी करते। मौलाना का मामला आसानी पैदा करने का होता था। तीन तलाक़ के बारे में एक बार फ़रमाया कि दिल्ली में एक बहुत बड़े हनफ़ी आलिमे-दीन हुआ करते थे। उनके पास कोई एक बैठक में तीन तलाक़ का विवाद लेकर आता तो पहले पूछते कि तुम्हें अपनी बीवी को रखना है या छोड़ देना है। उसका जवाब साथ न रखना होता तो अपना फ़तवा देते और अगर वह कहता कि जोश में तलाक़ दे दी, मगर साथ रखना चाहता हूं तो उसे अहले-हदीस मुफ़्ती के पास भेज दिया करते थे। नबी करीम (सल्ल०) ने भी यही फ़रमाया : "आसानी पैदा करो, मुश्किल में न डालो, ख़ुशख़बरी दो, मुतनफ़्फ़िर न करो।"

क्या किसी इन्क़िलाबी तहरीक (आन्दोलन) का नेता दुनिया से बेनियाज़ हो सकता है?

इस सवाल के जवाब मैंने मौलाना की ज़िंदगी में पाया, मगर सीख नहीं सका और न बरतने की हिम्मत की लेकिन फिर भी जब दिल्ली जाने का इत्तिफ़ाक़ होता तो दुनिया की आलाइशों से दिल को पाक करने के लिए मौलाना की ख़िदमत में हाज़िर हो जाता। मौलाना हम जैसे दुनियादारों की रूह का चार्जर थे। उनकी संगत में गुज़रने वाले कुछ पल महीनों तक दिल और रूह को तरो-ताज़ा रखते थे यहां तक कि फिर से मुलाक़ात का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। मौलाना से जो भी मिलता वह उनका प्रशंसक हो जाता। ऐसा क्यों होता है इस सवाल का जवाब मुझे नबी (सल्ल०) की एक हदीस में मिल गया। एक आदमी ने नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, "अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब मैं वह करूं तो अल्लाह मुझ से मुहब्बत करे और लोग मुझे पसंद करें। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया—दुनिया में दिलचस्पी लेना छोड़ दो, अल्लाह तुम से मुहब्बत करेगा। और लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज़ हो जाओ, लोग तुम से मुहब्बत करेंगे।"

मौलाना फ़ारूक़ ख़ां की बेनियाज़ी (निस्पृहता) ने एक दुनिया को उनकी मुहब्बत में गिरफ़्तार कर दिया था। उनके इन्तिक़ाल के बाद दिल गवाही देता है कि दुनिया से दिलचस्पी न होने के सबब वह अल्लाह तआला की मुहब्बत भी पा रहे होंगे। उनकी ज़िंदगी पर यह हदीस फ़िट बैठती है-"कामयाब वह है जो इस्लाम ले आए और उसे ज़रूरत-भर रोज़ी मिल जाए और मिली हुई दौलत पर अल्लाह तआला उसे क़नाअत करने वाला बना दे।" मौलाना को देखकर हम जैसे दुनियादारों को हौसला मिलता था। हम लोग सोचते, अगर इन जैसे स्वभाव का मालिक भी जमाअत में रह सकता है तो हम जैसे कमअक़्ल लोगों के लिए भी जमाअत की कुशादगी में गुंजाइश निकल आएगी।

मौलाना फ़ारूक़ ख़ान साहब न तो नाप-तौलकर जमाअत में आए और न हिसाब-किताब से दीन के रास्ते पर चले। वह तो बस चले तो चलते चले गए यहां तक कि अल्लाह तआला की ओर से यह नवेद सुनाई गई-"ऐ नफ़्से-मुतमइन (सन्तुष्ट आत्मा) चल अपने रब की तरफ़, इस हाल में कि तू (अपने नेक अंजाम से) ख़ुश और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है। शामिल हो जा मेरे (नेक बंदों) में और दाख़िल हो जा मेरी जन्नत में।" अल्लाह तबारक-तआला मरहूम मौलाना फ़ारूक़ ख़ान साहब के दर्जात को बुलंद फ़रमाए और पसमनदगान को सब्रे-जमील से नवाज़े, आमीन! ■■ *(अनुवादक : गुलज़ार सहराई)*



स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

आज़ाद भारत में ग़ुलाम लोग

विशेष



परवेज़ अनवर

आज़ादी के 75 वर्षों बाद हमारे सामने भारत की जो तस्वीर है, क्या वह वाक़ई वही भारत है, जिसका ख़्वाब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। भारत को आज़ादी कोई एक दिन में नहीं मिली थी और न ही कोई एक व्यक्ति ने करिश्माई तौर पर अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया था, बल्कि इसे प्राप्त करने में हज़ारों लोगों को अपने जान व माल की क़ुर्बानी देनी पड़ी और लाखों लोगों ने जन आंदोलन को सफल बनाने में जी-तोड़ मेहनत की। वर्ष 1857 में शुरू हुआ संघर्ष 1947 में अंग्रेज़ों की लगभग दो सौ सालों की ग़ुलामी से आज़ादी के साथ समाप्त हुआ।

हमारे संविधान के अनुसार, भारत एक लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन क्या भारत अब तक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन सका है ? लोकतंत्र का अभिप्राय है सभी लोगों का शासन, लेकिन यह नहीं कि जनता का एक भाग दूसरे पर शासन करे। लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण यह है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो।

भारत में लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुदृढ़ करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार और राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना ज़रूरी है। भारत में प्रथम आम चुनाव से ही धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव है, भाई-भतीजावाद का बोलबाला है, नयी प्रवृत्ति के तहत

अपराधियों और पूंजीपतियों के वर्चस्व से राजनीतिक पार्टियों का माहौल दूषित हो चुका है।

पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता संलिप्त हैं। आजकल राजनीतिक पार्टियां किसी एक व्यक्ति और परिवार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की तरह संचालित की जा रही हैं।

राजनीतिक पार्टियों का वंशवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है। राजनीतिक पार्टियों की इन प्रवृत्तियों की वजह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को गहरा आघात लगा है, जिससे भारतीय लोकतंत्र धीरे-धीरे संवैधानिक राजतंत्र में तब्दील होता जा रहा है और कुछ राजनीतिक घरानों का भारतीय लोकतंत्र पर एक तरह से क़ब्ज़ा हो गया है। इनका आम जनता तो बहुत दूर अपने कार्यकर्ताओं तक से आम दिनों में सम्पर्क नहीं होता, लेकिन चुनाव आते ही हर राजनीतिक पार्टियों के नेतागण अपने कारपोरेट ऑफ़िसों से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टरों पर चुनाव क्षेत्रों का दौरा करने लगते हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए यथासंभव साधनों का प्रयोग करते हैं।

चूंकि भारत के मतदाताओं में अधिकांश जाकरूक नहीं हैं, इसलिए वे पाखंडी नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। इन नेताओं को आम जनता की समस्याओं की चिन्ता नहीं है, इनका उद्देश्य किसी भी क़ीमत पर चुनाव जीतना होता है, इसके लिए इन्हें धन की नदी बहानी पड़े या ख़ून की नदी, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों में पूंजीपतियों और अपराधियों की भूमिका बढ़ गयी है।

इस गठजोड़ ने राष्ट्र को भारी क्षति पहुंचाई है और विकास के नाम पर इन्होंने केवल अपना विकास किया है तथा राष्ट्र की सम्पत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट गयी है, जबकि भारत के अधिकांश लोग ग़रीब और अभाव में जीवन गुज़ारने के लिए मजबूर हैं।

एक ओर देश में भूख से मौतों की ख़बरें आती हैं तो दूसरी ओर गोदामों में अनाज सड़ने के समाचार भी हम सुनते हैं। भारत कैसा कल्याणकारी राज्य है जो अपने नागरिकों को दो वक़्त की रोटी मुहैया नहीं करा सकता है। ऐसे में भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मज़बूत हुई हैं, समझा जा सकता है।

भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उससे अपेक्षा की जाती है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ होगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जिससे भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र खुलकर सामने आता हो।

भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की

देश को समृद्ध एवं सम्पन्न बनाने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है। ग़रीब आज भी ग़रीब है। किसान आत्महत्या करने को विवश है। बंधुआ मज़दूरी और बाल-मज़दूरी का चलन आज भी ज़िन्दा है। देश के लाखों लोग आज भी सिर पर मैला ढोने को मजबूर हैं। ग़रीबी की मार ने बाल मज़दूरी को जन्म दिया है। आज हमारे महानगरों में लाखों की संख्या में बच्चे बाल श्रमिक हैं। इसी प्रकार लाखों बाल वेश्याएं भी हैं। हक़ीक़त तो यह है कि आज़ाद भारत हुआ है, भारतवासी नहीं।



है और ईसाई दूसरे नम्बर पर हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन पर साम्प्रदायिक हमले बढ़े हैं। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दंगों के दौरान प्रशासन साफ़ तौर से दंगाइयों का साथ देता नज़र आता है। देश धर्म और जाति के नाम पर बंटा हुआ है।

देश जब आज़ाद हुआ तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई। शिक्षा का प्रसार हुआ। जाति-पाति की दीवारें ध्वस्त हुई। लोगों में कुछ करने और कुछ बन जाने का हौसला बढ़ा। अंधविश्वास और रूढ़िवाद की बेड़ियां ढीली हुई। महिलाओं को भी जीने का कुछ हक़ मिला। आर्थिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से देश आगे बढ़ा, लेकिन संभवतः आज़ादी के समय हमने जो स्वप्न देखा था, उस हिसाब से हम प्रगति के पथ पद पर आगे नहीं बढ़ सके। शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा परन्तु महंगी पढ़ाई और शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण हम अभी तक 100 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं।

देश को समृद्ध एवं सम्पन्न बनाने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है। ग़रीब आज भी ग़रीब है। किसान आत्महत्या करने को विवश है। बंधुआ मज़दूरी और बाल-मज़दूरी का चलन आज भी ज़िन्दा है। देश के लाखों लोग आज भी सिर पर मैला ढोने को मजबूर हैं। ग़रीबी की मार ने बाल मज़दूरी को जन्म दिया है। आज हमारे महानगरों में लाखों की संख्या में बच्चे बाल श्रमिक हैं। इसी प्रकार लाखों बाल वेश्याएं भी हैं। हक़ीक़त तो यह है कि आज़ाद भारत हुआ है, भारतवासी नहीं।

निश्चित रूप से आज पहले की तुलना में महिलाएं अच्छी पोज़ीशन में हैं, लेकिन अपहरण, बलात्कार, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या आदि आम है। यही कारण है कि लिंग अनुपात का अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।

आज़ादी के बाद देश में शिक्षा एवं ज्ञान की जो ज्योति जली उसी ने हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। आज हर माता-पिता अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाना चाहता है। अपनी सारी जमा-पूंजी ख़र्च करके भी यदि वह अपने बच्चे को पढ़ा लेता है तो वह अपने आपको सफल समझता है। शिक्षित युवा पीढ़ी हमारे देश की आशा है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। निश्चित रूप से अधिकतर मामलों में देश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसलिए स्थिति को बदलने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य भर देश की उन्नति और तरक़्क़ी में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि समाज को उन्नत करें, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकें और मानवीय मूल्यों बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें। हम प्रयास करें कि देश वासियों का लोक-परलोक दोनों संवरे व सफल हो। ■■

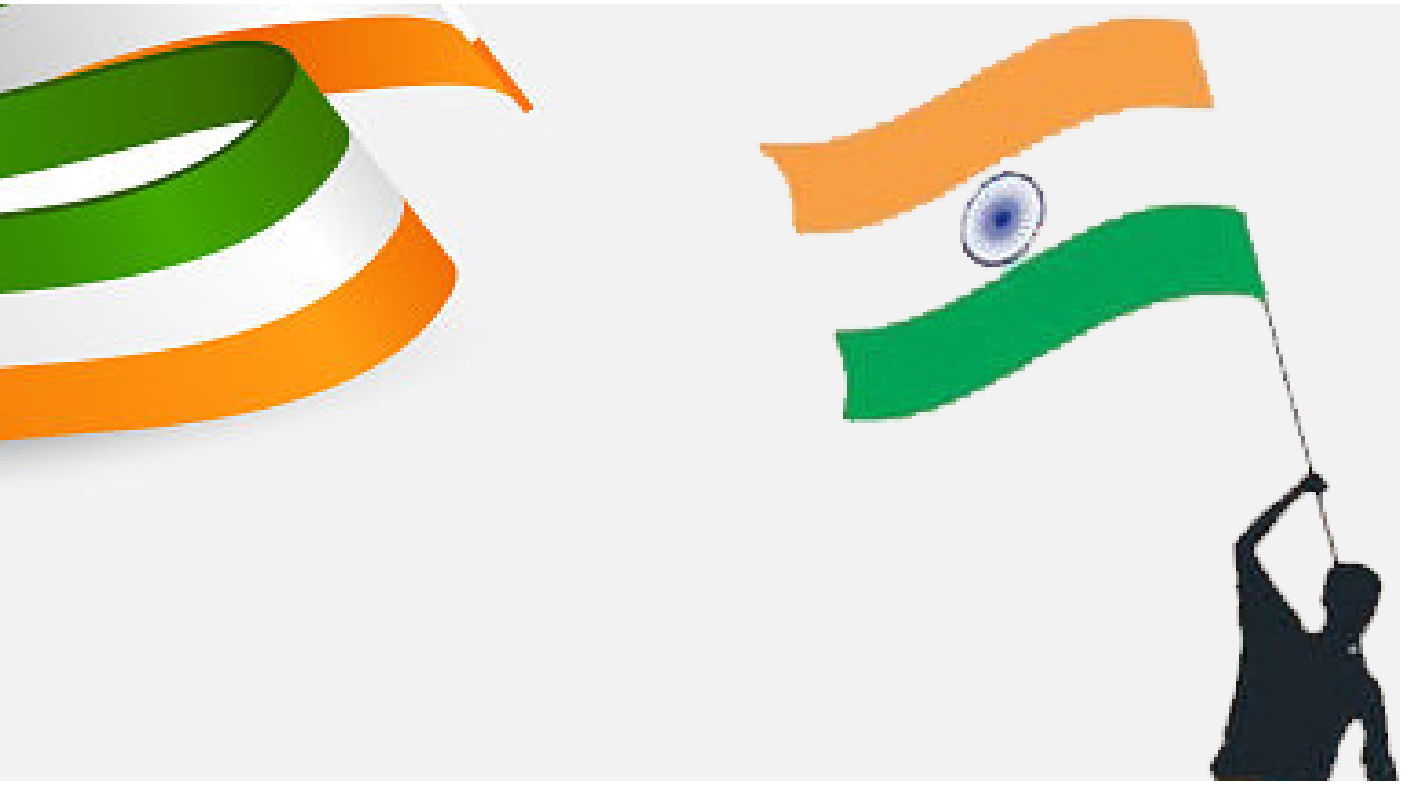

विविधा

भाईचारे की मिसाल



वर्तमान में भारत में अगर किसी को आपसी सद्भाव और भाईचारा देखना है तो उसे पंजाब ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि राज्य और गैर सरकारी तत्वों द्वारा असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम स्कूलों को अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया है, पंजाब में सिखों और हिंदुओं ने ख़स्ताहाल और जर्जर पड़ी मस्जिदों का जीर्णोद्धार करके उन्हें मुसलमानों को सौंपकर भाईचारा कायम किया है और सौहार्द का अद्भुत उदाहरण पेश किया है।

सौहार्द की इस पूरी प्रक्रिया में गुरुद्वारे केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अब तक 165 से अधिक मस्जिदों को बहाल कर मुसलमानों को दे दिया गया है। कई मामलों में, सिखों और हिंदुओं ने उन गांवों में नई मस्जिदों के निर्माण के लिए अपनी जमीनें दीं और धन की व्यवस्था भी की, जहां मुसलमान ग़रीब हैं, भूमिहीन हैं और उनके पास नई मस्जिद बनाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने के साधन नहीं हैं।

स्थानीय जानकारों का कहना है कि पंजाब के गांवों में बहुत कम मुसलमान हैं क्योंकि विभाजन के बाद मुसलमान पाकिस्तान चले गए, इसलिए मस्जिदें वीरान रह गईं। उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं बचा। कुछ मस्जिदों को अन्य समुदायों के पूजा स्थलों में भी परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी कई मस्जिदें थीं जिनकी देखभाल करने, प्रार्थना करने या उनका उपयोग करने के लिए आसपास कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों ने एक धार्मिक स्थान मानकर अपनी श्रद्धा के रूप में उन मस्जिदों को संरक्षित किया। ■■

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

वे पाठक जिन्होंने अपनी (सब्सक्रिप्शन) राशि अदा नहीं की है। कृपया करके जल्द अदाएगी करें। एकाउंट की विस्तृत जानकारी

नोट : कृपया अदाएगी के बाद स्क्रीन शॉट (9818799223) भेजें।

आंखों को कमज़ोर कर सकती हैं आपकी ये आदतें



सेहत



संपादन प्रभाग

आप जानते हैं कि आंखें कितनी अनमोल होती हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रति लापरवाही हर इन्सान कर ही देता है फिर चाहे वह अंजाने में की गई ग़लती ही क्यों न हो, लेकिन अब ये ग़लती नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी-सी ग़लती आपके जीवन को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आज से कोई ग़लती न करें। आइए जानते हैं कि वह कौन-सी आदतें हैं जिन्हें आप रूटीन के आधार पर अंजाने में करते हैं। इनके बारे में जानकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे, जिनसे हमारी आंखों को नुक़सान पहुंचता है।

कम रोशनी में या लेटकर पढ़ने की आदत-कम रोशनी में या लेटकर पढ़ने की आदत भी आंखों की सेहत के लिए हानिकारक होती है। अंधेरे में पढ़ने से आंखों को आगे चलकर नुक़सान हो सकता है, क्योंकि रोशनी की कमी से आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, जिसका परिणाम होता है, दृष्टि क्षेत्र की गहनता यानी आंख के फोकस में नज़दीक और दूर की चीज़ों के बीच फ़र्क़ का कम होना।

स्क्रीन टाइम-कुछ आंखों के डॉक्टरों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, जैसे हमारे कंप्यूटर, टेबलेट्स और स्मार्ट फ़ोन से निकलने वाली नीली लाइट सूरज की पराबैंगनी किरणों की तरह हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप के स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से आंखें ख़राब होने के साथ-साथ मोतियाबिंद जैसी बीमारी तक हो सकती है। कई लोग इस वजह से अनिद्रा के भी शिकार हो जाते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर हमारी आंखों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इससे सबसे ज़्यादा नुक़सान आंखों को ही होता है। कंप्यूटर और मोबाइल से हमारी आंखों की दूरी कम होती हैं, जिससे आंखों की मूवमेंट कम होती है। इस कारण लंबे समय तक आंखें एक ही प्वाइंट पर फोकस रहती हैं। मोबाइल और कंप्यूटर अधिक उपयोग करने वाले लोगों में मुख्य समस्या ड्राई आई सिंड्रोम की होती है, इसमें आंखों में नमी कम होने लगती है।

बहुत अधिक समय तक मोबाइल के इस्तेमाल से भी आंखों को नुक़सान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसकी स्क्रीन से निकलने वाली एलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें आंखों के विभिन्न हिस्सों जैसे रेटिना और कॉर्निया पर अपना असर डालती हैं।

पलकों को न झपकाना-हमारी पलकें नैचुरल तौर पर दिन में हज़ारों बार झपकती हैं, ताकि आंखों को ज़रूरी नमी मिल सके। इसलिए आंखों में तनाव को दूर करने का सबसे आसान तरीक़ा है हर थोड़ी देर में पलकों को झपकाना। इससे आंखों में मौजूद टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोबाइल या फिर दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक़्त हम इतने डूब जाते हैं कि पलकों को झपकाना तक भूल जाते हैं, जिससे

आंखें ड्राई और थकने लगती हैं।

आपने देखा होगा कि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते रहने से उनमें असहजता, खुजली महसूस होने लगती है। आमतौर पर आंखें एक मिनट में 12-15 बार झपकती हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले एक मिनट में केवल 4-5 बार ही आंखों को झपकाते हैं। आंखों को कम झपकाना और अधिक समय तक काम करते रहने से ड्राई आई सिंड्रोम, खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर पर लगातार काम करने वालों की आंखों से पानी निकलने की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि आंखें नहीं झपकाने से ल्युब्रिकेंट सही तरीक़े से आंखों में फैलता नहीं और उससे खुजली होती है और पानी बहता है।



लगातार टीवी देखने से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि टीवी से निकलने वाली घातक किरणें हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुक़सान पहुंचाती हैं। कभी भी बहुत पास या बहुत दूर और लेटकर भी टीवी नहीं देखना चाहिए।

वर्ष 2007 में हुए एक शोध के अनुसार, कम दायरे में देखने के कारण भी आंखों की रोशनी कम होती है, यानी जब हम एक केंद्रीय बिंदु पर अधिक देर तक ध्यान लगाये रहते हैं और अन्य वस्तुओं को नहीं देखते तब भी हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। उम्रदराज़ युवाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। यह शोध इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थॉल्मेलॉजी एंड विजुअल साइंस में छपा था।

आंखों को बार-बार रगड़ना-आंखों पर बार-बार हाथ लगाने की आदत हम सभी की होती है, लेकिन ये आदत आंखों को नुक़सान पहुंचाने का ही काम करती है। हमारी आंखों में कंजेक्टिवा की बेहद पतली परत होती है, जो उनकी रक्षा करती है। तेज़ी से आंखों को मसलने से इस परत को नुक़सान पहुंच सकता है।

धूम्रपान छोड़ें-धूम्रपान आपके फेफड़ों के लिए जितना हानिकारक है, उतना ही आपकी आंखों के लिए भी। अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि धूम्रपान उम्र से संबंधित धब्बेदार विकृति (मैकुलर डीजनरेशन), मोतियाबिंद और ऑप्टिक तंत्रिका को नुक़सान पहुंचाने का जोखिम बढ़ाता है, ये सभी आंखों की रोशनी जाने की वजह बन सकते हैं। सिगरेट में लगभग 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर के भीतर जाकर शरीर के अन्य अंगों के साथ-साथ आंखों को भी नुक़सान पहुंचाते हैं। ज़्यादा सिगरेट पीने से आंखों में लाल धब्बे होने के साथ-साथ आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ता है। रेटिना के केंद्र को मैक्युला कहते हैं। हम अपनी आंखों की सीध में जिन चीज़ों को देखते हैं, उसके लिए मैक्युला ज़िम्मेदार होता है। उम्र बढ़ने पर ख़ासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद मैक्युला की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है, लेकिन अगर आप धूम्रपान करते हैं तो मैक्युला की कार्यक्षमता समय से काफ़ी पहले ही कम हो जाती है और आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं।

बहुत अधिक अल्कोहल पीने वाले लोगों की आंखों को भी उतना ही नुक़सान होता है जितना कि लीवर को। कई शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि बहुत अधिक शराब पीने वाले लोगों की आंखें तो कमज़ोर होती है ही, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में लालीपन, तेज़ गति की चीज़ें दिखना, रंगों के प्रति संवेदनशीलता जैसी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं।

आंखों की समस्या को इग्नोर करना–कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों से जुड़ी समस्या जैसे कम दिखना या देखते समय एक परेशानी महसूस होना आदि को हल्के में ले लेते हैं। यह समस्याएं आपको बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इनका इलाज समय रहते नहीं करवाते हैं तो ये समस्याएं अवश्य ही बड़ा और भयंकर रूप धारण कर सकती हैं। ■■

आपदा प्रबंधन में अवसर

करियर



संपादन प्रभाग

आपदा ऐसे न रोके जा सकने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय प्रभाव हैं जिन्हें उपयुक्त प्रबंधन विकल्पों द्वारा कम किया जा सकता है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और यहां प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की अत्यधिक संभावना है। भारत का भू-भाग 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4 प्रतिशत है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 16.7 प्रतिशत है। हमारे देश की भू-वैज्ञानिक तथा भौगोलिक संरचना ऐसी है जो इसे आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भाग में एक पर्वत श्रृंखला-हिमालय अत्यधिक भूकंप, भूस्खलन तथा हिमस्खलन जनित क्षेत्र है। उत्तरी भारत के भू-भाग में बाढ़ तथा सूखे का ख़तरा होता है। हमारा उत्तर-पश्चिमी भाग सूखे तथा बंजरता की सम्भावना वाला क्षेत्र है, जबकि हमारे तटीय क्षेत्रों में सुनामी तथा चक्रवात के ख़तरे होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा देश सभी प्रकार की आपदाओं अर्थात् भूकंप, सूखे, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बंजरता, जंगल की आग तथा औद्योगिक वाहन (सड़क, रेल, वायु) दुर्घटनाओं की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। विश्व में 90 प्रतिशत आपदाएं विकासशील देशों में घटती हैं। भारत में, 70 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रवृत्त, 12 प्रतिशत बाढ़ प्रवृत्त, 60 प्रतिशत भूकंप प्रवृत्त तथा 8 प्रतिशत चक्रवात प्रवृत्त हैं। प्रतिशतता के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है जो आपदा के समय सहायता कर सके और आपदा नियंत्रण की स्कीमों के नियोजन, निगरानी तथा प्रबंधन में मदद कर सके। आज के परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी परिदृश्य के संदर्भ में, हमें उद्योग तथा सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन से जनित प्राकृतिक आपदाओं के चलते बाढ़, भूस्खलन या चक्रवात जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की तादाद ज़्यादा बढ़ी है। इस दौरान विश्व भर में क़रीब 7348 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आईं।

भारत में भी इस दौरान अब 321 से ज़्यादा ख़तरनाक आपदाएं आ चुकी हैं, जिसमें लाखों लोगों के जान-माल को नुक़सान पहुंचा। आमतौर पर जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो प्रभावित इलाक़ों में बचाव और राहत कार्य करते हमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ़), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ़) या फिर सेना व पुलिस के प्रशिक्षित जवान दिख जाते हैं। लेकिन देश में प्राकृतिक

आपदाओं के समय राहत-बचाव में प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता उतनी नहीं है कि हर स्थिति से अच्छी तरह निपट सकें। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में आपदा प्रबंधन के जानकारों की लगातार ज़रूरत महसूस की जा रही है। जोश, जुनून और जज्बे के साथ समाज सेवा की भावना रखने वाले युवाओं के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई तरह के करियर विकल्प हैं, जिनमें आकर्षक वेतन के साथ-साथ समाज और देश के लिए कुछ करने की संतुष्टि भी शामिल है।

बढ़ रही संभावनाएं : आज के समय में आपदा प्रबंधन/डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा उभरता हुआ



फील्ड है, जहां बहुआयामी करियर की संभावनाएं हैं। साथ ही, इसमें मानवता और देश-सेवा का बेशुमार सुख भी है। आपदा प्रबंधन का समुचित कोर्स कर लेने के बाद युवाओं के लिए सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी के बहुत से मौक़े हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारपोरेट कंपनियों में भी इन दिनों ऐसे प्रशिक्षित लोगों की काफ़ी ज़रूरत देखी जा रही है, क्योंकि ऐसी जगहों पर पिछले कुछ सालों से कार्य स्थल की सुरक्षा पर विशेष ज़ोर दिये जाने से ऐसे प्रशिक्षित लोगों को रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो अपनी कुशलता से किसी भी संकट की स्थिति में लोगों की सुरक्षा कर सकें।

इसके अलावा, अगर आपने आपदा प्रबंधन में कोर्स कर रखा है, तो एनजीओ से लेकर अग्निशमन विभाग, इंश्योरेंस कंपनियों, केमिकल इंडस्ट्री या खनन और पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनियों में भी अपने लिए नौकरी तलाश सकते हैं, जहां सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी मैनेजर तथा सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जैसे भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन का कोर्स कर लेने के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन, रेडक्रॉस जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी नौकरी पाई जा सकती है। यह कोर्स करके आप आपदा प्रबंधन से जुड़े किसी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षक भी बन सकते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।

साहसिक लोगों के लिए उपयुक्त: वैसे तो, आपदा प्रबंधन के फील्ड में किसी भी पृष्ठभूमि के युवा अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन जुनूनी, साहसिक और समाजसेवी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए यह ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यहां राहत और बचाव कार्य करते समय जोखिम भी लेना पड़ता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रोफेशनल्स को माउंटेनियरिंग समेत तमाम तरह का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी तरह की संकट की स्थित से कुशलतापूर्वक निपट सकें। इसलिए इस फील्ड में आने के लिए आप में गहरी व्यक्तिगत रुचि होने चाहिए, तभी आप इस फ़ील्ड का आनंद उठाते हुए तेज़ी से करियर में आगे बढ़ पाएंगे।

कोर्स एवं योग्यताएं : देश के बहुत से संस्थानों द्वारा इन दिनों आपदा प्रबंधन में सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक, परास्नातक या पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कराये जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कोर्सेज के लिए योग्यताएं अलग-अलग हैं, जैसे अगर आप इसमें अंडरग्रेजुएट या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो न्यूनतम योग्यता बारहवीं होनी चाहिए। इसी तरह पीजी लेवल के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है।

आकर्षक पैकेज : औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारपोरेट कंपनियों या फिर एनजीओ में ऐसे प्रोफेशनल्स को आजकल अच्छी सैलरी पैकेज ऑफ़र किये जा रहे हैं। यह कोर्स करने के बाद प्रोफेशनल्स को 25 से 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर जैसे पदों पर ऐसे अनुभवी प्रोफेशनल्स लाख रुपये तक सैलरी पा रहे हैं।

प्रमुख संस्थान

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली

www.nidm.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली

www.ignou.ac.in

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ायर इंजीनियरिंग, नागपुर

www.firecollegenagpur.in

देलही कॉलेज ऑफ़ फ़ायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, दिल्ली

www.dcfse.com

दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ायर इंजीनियरिंग, दिल्ली। ■■



छुट्टी का दिन

कहानी



शशिभूषण द्विवेदी

पूरा हफ़्ता बीत जाता है छुट्टी के दिन का इंतिज़ार करते और जब छुट्टी का दिन आता है तो मन और भी आतंकित हो जाता है। पूरा दिन एक ऊब और बेचैनी के साथ कैसे कटेगा—सोचते ही मन और भी झल्ला उठता है। छुट्टी के दिन की दिनचर्या भी अजीब होती है। देर तक सोने की इच्छा के बावजूद नींद लगभग समय पर ही खुलती है। कुनमुनाया, अलसाया...थोड़ी देर और सो लेने की कोशिश में थोड़ा-सा वक़्त और जाया हो जाता है। आख़िर न चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। हाथ-मुंह धोकर ट्रैक सूट पहनता हूं। देखता हूं पत्नी अभी तक मिट्टी के लोंदे की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी है। उसे पता है कि आज छुट्टी का दिन है सो वह आज देर तक सोएगी। मन करता है कि उसके फैले हुए नितंबों पर एक ज़ोरदार लात मारूं मगर फिर ख़ुद को संभाल लेता हूं। जानता हूं कि अब चाहे-अनचाहे सारा दिन इसी के साथ गुज़ारना है सो सुबह-सुबह उसे चूमने में ही भलाई है। मैं उसे चूमता हूं लेकिन सुबह-सुबह उसके मुंह की बास मेरे भीतर एक अजीब तरह की मितली पैदा कर देती है। मन करता है कि उसकी बिखरी हुई देह पर उल्टी कर दूं लेकिन कर नहीं पाता। बहुत-सी चीज़ें हम चाहकर भी नहीं कर पाते। जैसे हम चाहकर भी महंगाई को नहीं रोक पाते। हां, महंगाई से याद आया—दो महीने हो गए बिजली का बिल जमा किए। इस महीने जमा न किया तो कनेक्शन ही कट जाएगा। सोचा था इस छुट्टी में करा ही दूंगा, हर बार टल जाता है। हालांकि बिजली-पानी का बिल जमा कराना भी किसी सिरदर्द से कम नहीं। छुट्टी वाले दिन वैसे भी आधे ही दिन बिल जमा होते हैं। फिर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूछो मत। समझिए कि आधा दिन तो इसी में गया। मैं घड़ी देखता हूं। सुबह के सात बज रहे हैं। मैं पत्नी को घर में सोता छोड़कर बाहर घूमने निकल जाता हूं। सुबह घूमने के बहाने एक पंथ दो काज हो जाते हैं। दरअस्ल, घर ख़र्च कम करने की क़वायद में दो तीन महीने पहले पत्नी ने घर आने वाला अख़बार बंद करा दिया। पत्नी को लगता है कि अख़बार ख़रीदना फ़िज़ूलख़र्ची है और अख़बार पढ़ना समय की बर्बादी। आख़िर होता ही क्या है अख़बारों में आजकल—वही रोज़ की बासी ख़बरें-चोरी, छिनैती, बलात्कार, घोटाले...। लेकिन सुबह-सुबह अख़बार पढ़ने की अपनी बरसों पुरानी आदत मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाया। सुबह-सुबह अख़बार न पढ़ो तो लगता है कि दिन की ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई। पहले मैं सुबह-सुबह बाथरूम में अख़बार लेकर घुस जाता था और नित्यकर्म करते हुए पूरा अख़बार चाट लेता था। फिर तरो-ताज़ा होकर बाहर आता था। तब तक पत्नी भी चाय बनाकर ले आती थी और हम इत्मीनान से चाय पीते थे। लेकिन अब वे सब बीते दिनों की बातें हो गईं। अब तो सुबह टहलने के बहाने चाय की दुकान पर खड़े-खड़े ही अख़बार भी पढ़ लेता हूं। हालांकि शुरू-शुरू में ख़ाली-पीली अख़बार पढ़ने पर चाय वाला भी मुझे बहुत तिरस्कारपूर्ण नज़रों से घूरता था और बार-बार आकर पूछ जाता था कि साहब चाय चलेगी। मेरे मना करने पर वह बुरा-सा मुंह बना लेता। कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने सीधे-सीधे मुझ से कह दिया कि साहब गाहकों को बैठने दीजिए। धंधे का टाइम है। आपका क्या है, आप तो मुफ़्त में अख़बार पढ़कर चले जाएंगे। धंधा तो हमारा खोटा होगा।

उसकी ऐसी बातों का मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। इस बुरे लगने के चलते ही अब कभी-कभी मैं उसे हाफ़ चाय या सिगरेट का आर्डर दे देता हूं और बदले में वह मुझे चुपचाप अख़बार पढ़ने देता है। हालांकि हाफ़ कप चाय के बदले घंटे भर उसे मेरा अख़बार पढ़ना अब भी अखरता है लेकिन बेशर्मी से मैंने अब उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है।

चाय की दुकान पर सबसे पहले मैं अपना राशिफल देखता हूं, फिर मौसम का हाल। राशिफल में लिखा है कि आज कोई शुभ सूचना मिलेगी और धनोपार्जन होगा। मैं सोचता हूं कि आज महीने की बीसवीं तारीख़ है। धनोपार्जन की तो कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आती, बल्कि ख़र्च ही ख़र्च होना है। यही हाल मौसम के हाल का है। उसमें लिखा है आसमान साफ़ रहेगा, लेकिन कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मगर यहां तो सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। अख़बार में और भी तमाम ख़बरें हैं—मसलन पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीज़ल के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी के संकेत दिए हैं और कृषि मंत्री का कहना है कि महंगाई रोकने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकारों को दोष दे रहा है और राज्य सरकारें केंद्र को कोस रही हैं। बयान, बयान और बयान। पूरा अख़बार नेताओं और मंत्रियों की बयानबाज़ी से अटा पड़ा है। मैं सिगरेट के साथ हाफ़ चाय सुड़ककर अख़बार रख देता हूं और सोचता हूं अब सिगरेट भी छोड़ ही देनी चाहिए। सेहत और ख़र्च दोनों लिहाज़ से यह एक अच्छा विचार है। हालांकि यह अच्छा विचार इससे पहले भी मुझे सैकड़ों बार आया है लेकिन उस पर अमल करने का विचार रोज़ अगले दिन के लिए टल जाता है।

मैं देखता हूं घड़ी में आठ बज रहे हैं और आसमान में बादल घने हो रहे हैं। मुझे जल्द ही नहा-धोकर बिजली घर जाना होगा वरना बारिश से सब गुड़ गोबर हो सकता है। मैं तेज़ क़दमों से घर की ओर लौट पड़ता हूं। घर में पत्नी रसोई में उठा-पटक कर रही है। यह उसकी रोज़ की खीझ है जो रसोई में बर्तनों पर निकलती है जिसे मैं रोज़ की तरह ही सुनकर अनसुना कर देता हूं। लेकिन तभी उसकी खीझभरी आवाज़ आती है—'गैस ख़त्म हो गई है। कितने दिन से कह रही थी बुक करवा दो... लेकिन कोई सुने तब न...।'

—'गैस के दाम भी बढ़ गए हैं।' मैं कहता हूं।

—'तो?'

—'तो...तो कुछ नहीं। आज बिजली घर जाना है बिल जमा कराने।'

—'पहले गैस का कुछ इंतिज़ाम करो।'

मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता हूं। पत्नी की बड़बड़ाहट नल के पानी के शोर में गुम हो जाती है। मेरे नहाकर बाथरूम से बाहर आने तक पत्नी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं गुनगुनाने लगता हूं—गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी...। लेकिन पत्नी मुझे अनसुना करते हुए बड़बड़ा रही है जैसे मैं उसे अनसुना करते हुए गुनगुना रहा हूं।

—'सिलेंडर झुकाकर थोड़ी-सी गैस निकल आई लेकिन जैसे भी हो दोपहर तक कहीं से भी गैस का बंदोबस्त करो वरना खाना भी नहीं बन पाएगा। कितनी बार कहा कि दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो। कभी अचानक गैस ख़त्म हो जाए तो ये दिन तो न देखना पड़े...मगर सुनता कौन है...।'

—'अब ठीक है...बिजलीघर जाते हुए बुक करवाता आऊंगा।'

—'बुक वुक नहीं...गैस आज ही आनी चाहिए और अभी।' मैं कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर घर से निकल पड़ता हूं। दस बज गए हैं। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शुक्र है कि मौसम को देखते हुए छतरी साथ लेता आया था। बिजली घर पहुंचते-पहुंचते बारिश और भी तेज़ हो गई लेकिन बिल जमा कराने वालों की लाइन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल काउंटर के पास कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बारिश की फुहारों से बचने के लिए लोग ठेलमठेल मचाए हैं। लाइन इतनी लंबी है कि लगता नहीं कि दो घंटे बाद भी मेरा नंबर आ पाएगा। काउंटर क्लर्क इतना सुस्त है कि एक-एक आदमी पर दस-दस मिनट लगा रहा है। लोग कुनमुना रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की काहिली को कोस रहे हैं। बीच-बीच में कोई काउंटर क्लर्क का जान पहचान वाला आ जाता है तो उसका काम आउट ऑफ़ वे जाकर भी हो जाता है जिससे लाइन में लगे लोगों का ग़ुस्सा बढ़ जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। हालांकि इस हल्ले का कोई असर नहीं होता। बस लोग बड़बड़ाते रहते हैं और जान-पहचान वाले या दबंग लोग लाइन को धकियाकर अपना काम करा ले जाते हैं। मैं घड़ी देखी साढ़े ग्यारह होने को आए। अब भी पांच-सात लोग लाइन में हैं। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। लगता नहीं कि आज मेरा नंबर आ पाएगा। एक-एक पल भारी होता जा रहा है। ग्यारह बजकर पचास मिनट हो गए हैं। दो लोग अब भी मेरे आगे हैं। मैं हड़बड़ी में हूं—भइया ज़रा जल्दी करो। काउंटर क्लर्क घुड़कर मेरी ओर देखता है। उसकी घुड़की में एक हिक़ारत है।

—'काम ही कर रहा हूं। कोई मक्खी तो मार नहीं रहा।' जानता हूं कि क्लर्क से बहस करने का कोई मतलब नहीं, वरना अभी काउंटर बंद कर देगा। बहरहाल, मेरा नंबर आख़िरकार आ ही गया। घड़ी में अभी बारह बजने में पांच मिनट बाक़ी हैं। मैं जैसे ही बिल की रसीद उसकी ओर बढ़ाता हूं, वह पेशाब का बहाना करके उठ जाता है। मैं उसकी इस हरकत पर खीझ उठता हूं पर कुछ कह नहीं पाता। पांच मिनट बाद क्लर्क लघुशंका से निपटकर लौटता है और ऐलान कर देता है कि टाइम ख़त्म हो गया है, अब कल आना। मेरा दिल धक से रह जाता है। दो घंटे की मेहनत पर पानी फिरता नज़र आता है। अब मैं याचना की मुद्रा में आ गया हूं।



—'दो घंटे से खड़ा हूं सर...प्लीज़ जमा कर लीजिए बिल...वरना...'

—'वरना क्या? हम भी दो घंटे से काम ही कर रहे हैं, कोई झख तो नहीं मार रहे। इतनी ही जल्दी थी तो समय पर क्यों नहीं आए?'

—'प्लीज़ सर...बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं...मेहरबानी होगी...' मेरे चेहरे पर जाने कैसा तो दीनता का भाव है कि क्लर्क थोड़ा पसीजने लगता है।

—'अच्छा लाओ...लेकिन बाक़ी सब कल आएं।' मेरी जान में थोड़ी जान आती है। आख़िरकार मेरा बिल जमा हो जाता है मगर पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है—प्लीज़ सर...प्लीज़ सर...लेकिन तब तक खिड़की बड़ी बेरहमी से बंद हो जाती है। मैं ख़ुश हूं कि आख़िरकार मेरा बिल जमा हो गया। मुझ में एक विजेता का-सा भाव घर करने लगता है।

बाहर बारिश और भी तेज़ हो गई है। घड़ी साढ़े बारह बजा रही है। अब मुझे फ़ौरन गैस स्टेशन की ओर भागना होगा वरना घर में खाना नहीं बनेगा। गैस स्टेशन पहुंचते-पहुंचते एक डेढ़ बज जाते हैं, मगर बारिश थमने का नाम नहीं लेती। मैं लगभग आधे से ज़्यादा भींग चुका हूं। स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि आज तो छुट्टी का दिन है। 'हे भगवान, अब क्या होगा?' मेरे हाथ-पांव फूलने लगते हैं। मैं आस-पास लोगों से पूछता हूं। रिरियाता हूं। घर में गैस ख़त्म होने का हवाला देता हूं। मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। घर में पत्नी भी भूखी होगी, मैं सोचता हूं। तभी बीड़ी का सुट्टा लगाता हुआ एक दलाल टाइप आदमी मेरे पास आता है। वह घूरकर एक नज़र मेरी ओर देखता है।

—'गैस चाहिए?'

—'हाँ।'

—'ब्लैक में मिलेगा। तीस परसेंट एक्स्ट्रा।'

—'ये तो बहुत ज़्यादा है। कुछ कम में नहीं होगा?'

—'लेना है तो बोलो वरना रास्ता नापो।' मुझे पत्नी का खीझ और हताशा से भरा चेहरा याद आ जाता है। मैं फ़ौरन हां कह देता हूं।

—'कितना लगेगा?'

—'सात सौ रुपए।' मैं पर्स टटोलता हूं। पर्स में सिर्फ़ पांच सौ रुपए हैं। मैं पांच सौ रुपए उसे सौंप देता हूं।

—'सिलेंडर घर पहुंचाओ। बाक़ी के पैसे घर पर दूंगा।'

—'सिलेंडर घर पहुंचाने के पचास रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे।' वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। मैं कहता हूं—'ये तो ज़ियादती है।'

—'ज़ियादती वादती कुछ नहीं। एक तो छुट्टी का दिन, ऊपर से मौसम देख रहे हैं।' मैं झल्लाता हूं मगर कुछ नहीं कर पाता। फ़ौरन सिलेंडर घर पहुंचाने को कहकर उसके साथ चल देता हूं। घड़ी में दो बज रहे हैं। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि गैस मिल जाने से मेरे भीतर एक सुकून-सा आ गया है। अब बारिश से भीगी मिट्टी की सोंधी गंध मुझे अच्छी लगने लगी है।

सिलेंडर के साथ जैसे-तैसे मैं घर पहुंचता हूं। ढाई बज चुके हैं। पत्नी का पारा सातवें आसमान पर है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता और गैस वाले का बक़ाया भुगतान कर उसे रवाना कर देता हूं। पत्नी भी बिना मुझ से कुछ कहे सिलेंडर रसोई में रखवा लेती है और खाना बनाने जुट जाती है। कुकर की सीटी और खाने की ख़ुशबू से मेरी भूख

और भी बढ़ जाती है। इस बीच मैं रूठी पत्नी को मनाने की योजना बनाने लगता हूं। साढ़े तीन तक खाना बनकर तैयार हो जाता है और मैं झटपट खाने बैठ जाता हूं। खाना आज कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भरपेट खाकर एक ज़ोरदार डकार लेता हूं। पत्नी भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। मैं आराम की मुद्रा में थोड़ी देर टीवी देखने के लिए टीवी ऑन करता हूं मगर बिजली गुल है। कमबख़्त बिजली में भी इन दिनों सात-आठ घंटे की कटौती होने लगी है। रोज़-रोज़ के धरना-प्रदर्शन के बावजूद बिजली की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। अभी चार दिन पहले ग़ुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ की उसके दफ़्तर में सरेआम पिटाई ही कर दी। मगर सरकार के कान पर जूं रेंगने का नाम नहीं लेती। हारकर मैं बिस्तर पर लौटकर लेट जाता हूं।

हालांकि नींद फिर भी नहीं आती। मैं बार-बार घड़ी देखता हूं। साढ़े चार बज चुके हैं। मैं पत्नी को मनाने की तरकीबें सोचता हूं और उठकर रसोई में चला आता हूं जहां पत्नी चाय बना रही है। इस बेचारी को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं सिवाय सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो लेने के। मैं उसे पीछे से अपनी बांहों में भर लेता हूं। वह झुंझला जाती है।

—'क्या कर रहे हो...छोड़ो... खिड़की खुली है कोई देख लेगा।'

—'देखता है तो देखे...अब तो खुल्लम-खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।' मैं रोमांटिक मूड में गुनगुनाने लगता हूं।

—'क्या बात है...बड़ी मस्ती के मूड में हो।' पत्नी की आंखों में शरारत है। उसका ग़ुस्सा काफ़ूर हो उठा है। मैं उसके इसी अंदाज़ पर रीझ उठता हूं। तमाम परेशानियां उसकी एक मुस्कान के आगे बौनी हो जाती है। मैं झट से उसके होठों को चूम लेता हूं और उसे बांहों में भरे भरे नाचने लगता हूं—'छुट्टी का दिन है कि मस्ती में हैं हम...मस्त मस्त मस्ती...याहू...' पत्नी प्यार से मुझे झिड़क देती है, 'अब बचपना छोड़ो और चलो चाय पियो।' मैं चाय का कप लिए उसके साथ ड्राइंग रूम में आ जाता हूं। अब तक बिजली भी आ गई है। हम टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। शाम के साढ़े पांच बज चुके हैं। पत्नी बाज़ार चलने की फ़रमाइश करने लगती है। मैं उसका मूड ख़राब करना नहीं चाहता। हालांकि मन ही मन आज हुए ख़र्च का हिसाब लगाने लगता हूं। एक ही दिन में कुल चार हज़ार की चपत लग चुकी है। 'ख़ैर...मौसम ख़ुशनुमा है और छुट्टी का दिन ख़राब नहीं करना है।' मैं सोचता हूं और फ़ौरन बाज़ार के लिए तैयार होने लगता हूं।

हम बाज़ार में हैं। शाम के सात बज रहे हैं। अंधेरा घिरने लगा है। बाज़ार में चारों ओर जगमगाहट है। लगता है जैसे मौसम का लुत्फ़ लेने पूरा शहर घरों से बाहर निकल आया है। नए-नए जोड़े हाथों में हाथ डाले इत्मीनान से टहल रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं।

—'कितने दिन हुए इतने अच्छे मौसम में हमें बाज़ार आए...ना।' पत्नी कहती है और मैं उसकी हां में हां मिला देता हूं। टहलते-टहलते हम एक शॉपिंग मॉल के सामने आ जाते हैं। मॉल रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहा है और अपनी भव्यता और वैभव से पूरे शहर को मुंह चिढ़ा रहा है। शहर में पिछले दो साल में पांच मॉल और मल्टीप्लैक्स खुले हैं और सब एक से बढ़कर एक। इस बीच रेहड़ी और खोमचे वालों की एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और साप्ताहिक हाट बाज़ार का हाल बद से बदतर हो गया है। मॉल के आसपास रेहड़ी और खोमचे लगाने की सख़्त मनाही है और कभी भूल से भी किसी ने ऐसा दुस्साहस कर लिया तो उसके लिए पुलिस का ज़ालिम डंडा तो है ही। बहरहाल, मॉल के आगे लंबी-लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है और उसमें चढ़ते-उतरते लोग मुझ में बेतरह हीनभावना पैदा कर रहे हैं। वे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हैं जिनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं और जिनके चेहरे पर कहीं किसी दुख, परेशानी या मुश्किल के निशान नहीं हैं।

मॉल के भीतर जगमग रोशनियों के बीच वस्तुओं का पूरा बाज़ार है जिनके ऊपर उनकी क़ीमतों के टैग लगे हैं। यहां हर चीज़ ब्रांडेड है और ब्रांड की ही क़ीमत है। लोग यहां चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। एक ब्रांडेड जींस की क़ीमत चार हज़ार, जूता सात हज़ार और बित्ते भर टॉप दो हज़ार। मेरे बग़ल में खड़ी एक अल्ट्रा मॉड लड़की झटपट एक जींस और टॉप उठाती है और उन्हें आज़माने के लिए ट्रायल रूम में घुस जाती है। दो मिनट बाद जब वह बाहर आती है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर बेपरवाही से टहलते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। पत्नी वहां तमाम चीज़ों को ललचाई निगाहों से उठा-उठाकर देख रही है फिर उनकी क़ीमतें पढ़कर मायूस हो जाती है और चुपचाप उन्हें यथास्थान रख देती है।

कुछ ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी के बाद हम जगमग रौशनियों के उस संसार से बाहर आ जाते हैं। घड़ी में साढ़े आठ बज रहे हैं। रास्ते में गोलगप्पे खाने के बाद अपनी तमाम अधूरी इच्छाओं के साथ हम घर की ओर लौट पड़ते हैं। आख़िर सुबह दफ़्तर के लिए जल्दी उठना भी तो है। ■■

आख़िरी पन्ना



मौलाना
इनायतुल्लाह
सुब्हानी

क़ुरआन की दृष्टि में

साम्प्रदायिक सद्भाव

साम्प्रदायिक सद्भाव हरेक देश और जाति के लिए ही नहीं बल्कि हर इन्सान की बुनियादी ज़रूरत है, साम्प्रदायिक सद्भाव के बग़ैर कोई देश शान्तिपूर्ण और पुरसुकून नहीं हो सकता, वह ख़ुशहाल और संतुष्ट नहीं हो सकता, वह सही अर्थों में विकास एवं सभ्यता की बुलंदियां नहीं छू सकता। साम्प्रदायिक सद्भाव न हो तो विकास की सारी सम्भावनाएं और सभ्यता के सारे संसाधनों के होते हुए भी विकास की गति सुस्त होती है और धीमी गति के साथ जो उन्नति होती भी है, इसमें स्थायित्व और पायदारी नहीं होती। ऊंचे महल कब ढह जाएं और कब धराशायी हो जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। सामाजिक सद्भाव न हो, तो बड़ी-बड़ी इन्सानी बस्तियां सुख एवं शान्ति की दौलत से वंचित रहती हैं, देश के अन्दर भी ख़तरे का माहौल बना रहता है और बाहरी ख़तरों के बादल भी हमेशा सर पर मंडलाते रहते हैं।

आज साम्प्रदायिक सद्भाव के अभाव ने पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। हमारा प्यारा देश भी आज इसी साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। साम्प्रदायिकता की इस आग से किसी का भी घर या किसी का भी आशियाना सुरक्षित रहने वाला नहीं है, इसलिए इस देश के सारे बुद्धिजीवियों को इस गम्भीर समस्या पर विचार करना चाहिए और इस आग को बुझाने का तरीक़ा सोचना चाहिए। किसी को यह ग़लतफ़हमी हर्गिज़ नहीं होनी चाहिए कि इस आग में अगर किसी दूसरे का आशियाना जल रहा है, तो ख़ुद उसका आशियाना सुरक्षित रहेगा। या अगर किसी दूसरे के खेल-खलियान तक इसकी चिंगारियां पहुंच गयी हैं, तो ख़ुद उसके खेत-खलियान तक उसकी चिंगारियां नहीं पहुंच सकेंगीं।

जो लोग भी साम्प्रदायिकता की आग भड़काते हैं वह मात्र इस वजह से भड़काते हैं कि उन्होंने अपने आपको पहचाना नहीं है। उन्होंने न अपने आपको पहचाना है, न दूसरों को पहचानने की कोशिश की है। बल्कि सही बात यह है कि उन्होंने अपने मालिक और रचयिता को नहीं पहचाना, हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस धरती पर हम ख़ुद से नहीं आ गये हैं, बल्कि लाये गये हैं। जिसने यह धरती बनाई है, उसी ने हमें इस धरती पर बसाया है, हमेशा के लिए नहीं बसाया है, बल्कि कुछ दिनों के लिए बसाया है और यूं ही नहीं बसाया है, बल्कि इसलिए बसाया है कि हम इस धरती पर रहते हुए, उसकी इताअत और

“भलाई और बुराई समान नहीं हैं। तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति, तुम्हारे और जिसके बीच बैर पड़ा हुआ था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है।”

(क़ुरआन, 41:34)

आज्ञापालन करें और उसे भूलकर भी अपनी मनमानी न करने लगें। उसने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम इस ज़मीन पर उसके अच्छे बन्दे बनकर रहें, और प्रत्येक कार्य उसकी मर्ज़ी के अनुसार करें, कभी उसकी नाफ़रमानी न करें, कभी कोई ऐसा कार्य न करें, जो उसकी ख़ुदाई (ईशत्व) को चुनौती देने वाला और उसे क्रोध दिलाने वाला हो।

दूसरों पर ज़ुल्म व अत्याचार करने वाला और दूसरों के ख़ून से अपने हाथ रंगने वाला व्यक्ति अपने ख़ालिक और मालिक के क्रोध को ललकारता है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने मालिक की पकड़ से बच नहीं सकता। उसे कुछ दिन के लिए चाहे छूट मिल जाए, मगर एक न एक दिन उसे अपने ज़ुल्म व अत्याचार का परिणाम भुगतना होगा। अगर इस दुनिया में उसकी पकड़ नहीं हुई तो मरने के बाद आने वाली ज़िन्दगी में उसकी पकड़ निश्चित है।

इस दुनिया में अपने आपको पहचानने, अपने क्रोध पर नियन्त्रण करने, इन्सानों के साथ इन्सान बनकर रहने और ज़िन्दगी के सारे मामलों में अपने ख़ालिक व मालिक की नाफ़रमानी से बचने के लिए आख़िरत (परलोक) पर विश्वास से बढ़कर दूसरी और कोई चीज़ नहीं और इस विश्वास की शिक्षा हर धार्मिक ग्रन्थ में मौजूद है, परन्तु यह भौतिकवादी इन्सान इस दुनिया से आगे कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं।

यहां बात चल रही है साम्प्रदायिक सद्भाव की, इसलिए इस बात का स्पष्टीकरण ज़रूरी है कि ईश्वर के भेजे हुए धर्म इस्लाम में साम्प्रदायिकता की कोई जगह नहीं, इसलिए कि इस्लाम किसी सम्प्रदाय, किसी परिवार, किसी जाति, किसी नस्ल या किसी क़ौम का धर्म नहीं। यह धर्म इस पृथ्वी पर बसने वाले सारे इन्सानों का धर्म है, और वह सारे इन्सानों को सम्बोधित करता है-

''लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार (संयमी) है। निश्चय ही ईश्वर सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।'' (क़ुरआन, 49:13)

इस्लाम



ध र्म

किसी एक जाति, किसी एक समुदाय, या किसी एक नस्ल का नहीं, बल्कि इस ज़मीन पर बसने वाले समस्त मानवजाति का धर्म है। इसीलिए वह केवल मुसलमानों को नहीं पुकारता, बल्कि सारे इन्सानों को आवाज़ देता है।

यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसे केवल मुस्लिम समुदाय का धर्म समझ लिया गया। हमारे देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि इस धर्म की बिल्कुल वही हैसियत है जो हवा, पानी की है, जो सूरज चांद की है, जो धरती और धरती के समस्त प्राकृतिक संसाधनों और उपहारों की है। जिस प्रकार ईश्वर के बनाए हुए सभी संसाधन किसी एक समुदाय, किसी एक नस्ल के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के सारे नागरिकों के लिए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार यह धर्म इस्लाम भी इस देश के सारे नागरिकों के लिए है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर इस पृथ्वी पर बसने वाले सारे इन्सानों के लिए है।

यह धर्म विशुद्ध स्नेह और प्रेम का धर्म है, यह समस्त इन्सानों को सम्मान देता और उससे प्रेम करना सिखाता है, यह सारे इन्सानों को एक-दूसरे का भाई, और एक ही माता-पिता की सन्तान बताता है, लिहाज़ा यहां साम्प्रदायिकता का क्या प्रश्न है?

''भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति, तुम्हारे और जिसके बीच बैर पड़ा हुआ था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र है।''

(क़ुरआन, 41:34)

इस सिलसिले में हमारे पैग़म्बर और मार्गदर्शक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का जीवन-आचरण हमारे सामने है। हमारे देशबंधुओं को यह समझना चाहिए कि अगर मुसलमान कोई ग़लती करते हैं तो इसकी वजह यह नहीं होती कि इस्लाम ने उन्हें यही सिखाया है, बल्कि उसकी वजह वह होती है कि इन्होंने अपने धर्म को समझने और उसकी शिक्षाओं पर अमल करने में ग़लती की। उन्होंने जाने या अनजाने इस्लामी शिक्षाओं की अवहेलना करके ख़ुद नुक़सान उठाया, इस्लाम को नुक़सान पहुंचाया, उसकी ग़लत तस्वीर प्रस्तुत करके सारी इन्सानियत को नुक़सान पहुंचाया। मुसलमानों की ग़लतियों का बोझ कभी इस्लाम के सर नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि यह बात वास्तविकता के विरुद्ध है, और जो ऐसा करता है, वह ख़ुद अपने आपको नुक़सान पहुंचाता है। ■■

“तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।”

(कुरआन, 24:22)

with best compliment from

Himalaya Book World
[Hyderabad]

KANTI Monthly, New Delhi
AUGUST 2023
Posted on 20-21 July 2023
Published on 18 July 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

"लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार (संयमी) है। निश्चय ही ईश्वर सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।"
(क़ुरआन, 49:13)

with best compliment from

HI-BUILD (Kolkata)